परिवार मूलक

ग्राम स्वराज्य योजना

(समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि, अभय व सह-अस्तित्व सार्वभौम रूप से सहज सुलभ कराने वाली योजना)

-: प्रणेता :-

ए. नागराज शर्मा

प्रकाशक :

दिव्य पथ संस्थान

मूल्य १०-०० रुपये

प्रकाशक :

दिव्य पथ संस्थान

पोस्ट - अमरकंटक
जिला - शहडोल (म. प्र.)
भारत

प्रथम संस्करण : १००० प्रतियां

१३ अगस्त १९९२
श्रावण पूर्णिमा २०४९

मुख पृष्ठ परिकल्पना/ सज्जा - रवीन्द्र जैन, दुर्ग

मुद्रक :

अजन्ता प्रिंटिंग प्रेस
पोलसाय पारा, स्टेशन रोड, दुर्ग (म. प्र.)

परिवार मूलक

ग्राम स्वराज्य योजना

–: प्रणेता :–

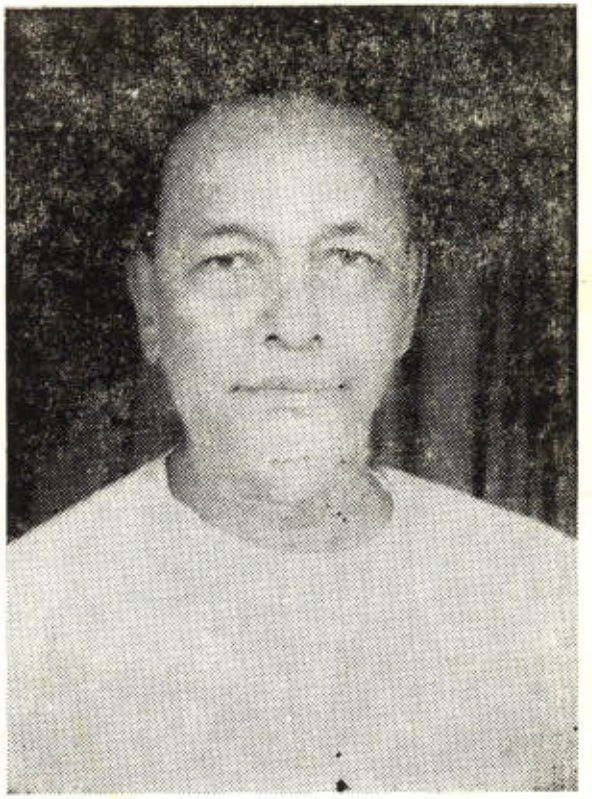

ए. नागराज शर्मा
(श्री भजनाश्रम)
पोस्ट – अमरकंटक
जिला – शहडोल, (म. प्र.), भारत

परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य योजना

विषय–सूची

अध्याय		पृष्ठ संख्या
१.	भूमिका एवं अवधारणा ।	१
२.	ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के लिए पूर्व तत्परता एवं आकलन ।	७
३.	ग्राम स्वराज्य व्यवस्था की अवधारणा ।	१२
४.	ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के सार्वभौम सूत्र व्याख्या और उसके स्रोत ।	१६
५.	ग्राम स्वराज्य सभा ।	१९
६.	ग्राम शिक्षा संस्कार व्यवस्था ।	२७
७.	ग्राम उत्पादन कार्य व्यवस्था ।	३२
८.	ग्राम स्वायत्त सहकारी विनिमय कोष व्यस्वथा ।	३९
९.	ग्राम स्वास्थ्य संयम व्यवस्था ।	४३
१०.	ग्राम न्याय सुरक्षा व्यवस्था ।	४५
११.	मूल्यांकन, प्रोत्साहन नियंत्रण प्रक्रिया ।	५५
१२.	उपसंहार ।	५९

अध्याय-१

भूमिका एवं अवधारणा

भारत वर्ष की ७० प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है । स्वतंत्रता के ४५ वर्ष बाद आज भी गांवों की दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है । समय–समय पर सरकार द्वारा ग्रामोत्थान के लिए प्रयत्न किए गए । तरह–तरह की योजनाएं बनाई गई और कर्ज लेकर अरबों खरबों रूपये उन पर खर्च किए गए लेकिन जो वांछित फल (आत्मनिर्भरता) मिलना चाहिए था वह नहीं मिला । प्रत्येक गांव, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है । इन समस्याओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है :–

१. सामान्य सुविधाएं : यातायात सड़क, जल प्रकाश, जल मल व्यवस्था, दूरभाष संचार व्यवस्था, आवास आदि की आपूर्ति
२. उत्पादन संबंधी समस्याएं : कृषि, ग्राम–शिल्प, ग्राम उद्योग कुटीर उद्योग, हस्तकला सेवा सहयोग संबंधी, पशु पालन में रत होने के आधार पर
३. स्वास्थ्य और संयम संबंधी समस्याएं (शारीरिक और मानसिक संतुलन)
४. विनिमय सम्बन्धी समस्याएं
५. शिक्षा संस्कार सम्बन्धी समस्याएं
६. न्याय सुरक्षा सम्बन्धी समस्याएं

उपरोक्त समस्याओं की विद्यमानता के मूल में एक प्रमुख कारण यह है कि अभी तक सुदूर विगत से उपलब्ध विद्या जो ज्ञान विज्ञान

धर्म और राज्य के रूप में जानी जा रही है वह सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में सूत्रित नहीं हो पायी। इसका मुख्य कारण है कि अभी तक ग्रामों के उत्थान के लिए समन्वित प्रयास नहीं किया गया। दूसरा मुख्य कारण यह रहा कि ग्रामवासियों व स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना योजनाएं बनाई गई। अभी तक यह समझा जाता रहा है कि गांवों में कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा देने व धन आदि की मूलपना प्रदान करा देने मात्र से ग्रामवासियों का उत्थान हो जावेगा। जबकि वास्तविकता यह है कि ग्रामवासियों में मानवत्व को जागृत किए बिना, ग्राम विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। आज की स्थिति यह है कि न तो प्रत्येक गांव आत्म-निर्भर हो पाया है और न ही ग्राम वासियों की जीने की शैली में में कोई परिवर्तन हुआ है। वे न तो व्यवसाय में स्वावलम्बी और न ही व्यवहार में सामाजिक हो पाए हैं। दिशा विहीन शिक्षा, संस्कार, राजनैतिक व्यवस्था व संविधान के कारण ग्राम-वासी भी वर्ग, सम्प्रदाय, जाति, दल आदि में बँट गए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जन मानस सम्मत संविधान और शासन कार्य की परस्परता में अंतर्विरोध है।

आजादी के उपरान्त, पहले की अपेक्षा भाई-चारा, परस्पर सहयोग, सहकारिता एव विश्वास और अधिक क्षति ग्रस्त होते गया इसी कारण कुण्ठा, निराशा, नशा खोरी, परस्पर संघर्ष, वैमनस्यता व विध्वंसकारी कार्य प्रवृत्तियां बढी हैं। इसके साथ नौकरी और व्यापारिक मानसिकता में वृद्धि हुई। इन सबका कारण शिक्षा और संस्कार परंपरा का मानवीय करण नहीं हो पाना तथा दिशा निर्देशन नहीं हो पाना रहा।

हमने पश्चिम के वैज्ञानिक अनुसंधान, मशीनीकरण वस्तुओं के

संग्रह और भोग प्रवृत्तियों के आधार पर उनको (पश्चिम जगत के लोगों को) अगुवा और श्रेष्ठ मान लिया। उन पर विश्वास किया। उन्हीं आदर्शों का अनुकरण करने का निरंतर प्रयास करते रहे। जबकि वास्तविकता यह है कि पश्चिमी देश हो नहीं स्वयं मानव और उसकी परंपरा ही भ्रमित रही है। फलस्वरुप यांत्रिकता, लाभोन्मादी भोगोन्मादी और कामोन्मादी प्रवृत्तियों ने मानव परंपरा को और अधिक भ्रमित किया। भ्रम कभी भी व्यवस्था का सूत्र और आधार नहीं होता है। इसी कारण, प्रत्येक मनुष्य में, शुभ कामना होते हुए भी, विपरीत फल होते रहा। जैसे अभी गणतंत्र जैसी शुभ कामना होते हुए भी वोट, नोट, बंटवारा, संतुष्टि व असंतुष्टि को ही दलगत राजनीति व कूटनीति का आधार मानने के फलस्वरुप सर्वाधिक लोग पीड़ित हुए। इसी तरह समानता एवं धर्म निरपेक्षता जैसी मंगल कामना होते हुए भी सैकड़ों जाति, मत, संप्रदाय, वर्ग, पंथों का होना राष्ट्रीय चरित्र की विफलता और पीड़ा का कारण हुआ है।

भारत का भविष्य गांवों व ग्राम वासियों के विकास में ही सन्निहित है। इस सत्य को न तो हमारे संविधान, न ही राज्य व्यवस्था और न ही शिक्षा-नीति में स्वीकारा गया है। ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया गया जिससे लोगों में ग्राम और ग्राम्य जीवन के प्रति विश्वास और निष्ठा पैदा हो सके। अभी तक किए गए प्रयासों से हस्त शिल्प, ग्राम शिल्प, ग्रामोद्योग कुटीर उद्योग पनप नहीं पाया। इसका प्रधान कारण गांव को आत्म निर्भर बनाने की विधि को अपनाया नहीं जाना और विनिमय कार्य को श्रम मूल्य के अनुरुप मूल्यांकन करने वाली प्रणालियों से सुसम्बद्ध नहीं किया जाना रहा। गांव में परम्परागत रुप में प्राप्त घरेलू चिकित्सा,

जड़ी-बूटियों का ज्ञान और उन पर आधारित औषधियां लुप्त प्राय हो गईं ।

साथ ही आधुनिक और वैज्ञानिक चिकित्सा सर्व सुलभ नहीं हो पाई। फलस्वरुप ग्राम्य जीवन के प्रति ग्राम वासियों की निष्ठा समाप्त प्राय हो गई ।

वर्तमान में प्रभावशील, राज्य-शासन व्यवस्था के अनुसार, ग्राम वासियों को न्याय सुलभ नहीं हो पाया और न हो उन्हें सार्व भौम न्याय के प्रति जागरुक ही बनाया गया। साथ ही इस व्यवस्था के द्वारा ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया गया जिससे ग्राम वासियों को आसानी से विनिमय सुलभता उपलब्ध हो सके । फल स्वरुप ग्रामवासी, लाभोन्मादी व्यवस्था के अनुरुप व्यापारियों व सेठों के चगुल में पड़कर अपने उत्पाद को कम दामों बेचने के लिए विवश हो गए । इस तरह वे निरंतर शोषित होते रहे ।

हमारी शिक्षा व्यवस्था आरंभ से ही दोषपूर्ण रही है। इसने मानवीय व्यवहारवादी संचेतना के स्थान पर लाभोन्मादी, कामोन्मादी तथा भोगोन्मादी संचेतना उत्पन्न की । सन् १९४७ में राज सत्ता हस्तान्तरित होने के बाद भी राष्ट्रीय शिक्षा उत्पाद नोन्मुखी और व्यवहारोन्मुखी नहीं हो पायी । इसके विपरीत, शिक्षा से नौकरी और व्यापार की मानसिकता में अधिकाधिक वृद्धि हुई । सरकार की आरक्षण-नीति भी नौकरी की मानसिकता को ही अभिव्यक्त करती है। और उस मानसिकता को प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार ऊपर वर्णित शिक्षा व्यवस्था के अनुसार, जो भी ग्रामीण बालक मिडिल स्कूल तक पढ़ गया, उसे अपने ग्रामीण होने पर घृणा होने लगी । कृषि विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने के

उपरान्त भी कोई ग्रामवासी नौकरी करना ही पसंद करता है। परिणाम यह हुआ कि पढ़े लिखे ग्रामीण, शहरों में नौकरी करने लगे या नौकरी की वांछा लेकर शहरों में निवास करने लगे। फलतः ग्राम पलायन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। गांव उजड़ते गये और शहर आबाद होते गए । इन सबकी प्रतिक्रिया स्वरूप ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति वितृष्णा पैदा होने लगी । वे सरकार और शहरी लोगों पर अविश्वास करने लगे । उनकी सारी योजनाओं को संशय की दृष्टि से देखने लगे । इस तरह वर्तमान शिक्षा न तो ग्रामीणों को व्यवसाय में स्वालम्बी बना पायी और न ही उनको व्यवहार में सामाजिक । शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात प्रत्येक बालक अपने परिवार व ग्राम के अन्य मित्रों व रिश्तेदारों को मूर्ख, गंवार समझता रहा और उनके साथ अपने संबंधों के प्रति उदासीन हो गया । या उदासीन होकर कर्तव्य विमुख हो गया। फलतः वह ग्रामवासियों की दृष्टि में सामाजिक नहीं रहा अथवा आगन्तुक जैसे हो गया ।

यदि ग्रामीण जीवन को सफल बनाना है व प्रत्येक ग्रामवासी में स्वयं के प्रति विश्वास उत्पन्न करना है तो हमें अपनी शिक्षा, संविधान, राज्य-व्यवस्था संबधी दृष्टि कोण में आमूल परिवर्तन करना होगा व इसके लिए ऐसा सार्वभौम विकल्प खोजना होगा जो प्रत्येक ग्रामवासी को स्वराज्य व स्वतंत्रता सर्व सुलभ करा सके। स्वराज्य का तात्पर्य न्याय–सुलभता, उत्पादन-सुलभता व विनिमय सुलभता से है । स्वतंत्रता का तात्पर्य सर्वतो मुखी समाधान व प्रामाणिकता और शारीरिक व मानसिक संतुलन से है । इसका आचरण रूप स्वानुशासन होगा ।

विकल्प और उसका स्रोत :– मानव परंपरा में शिक्षा, संस्कार,

राज्य-व्यवस्था व संविधान स्वयं, भ्रमित होने के फलस्वरूप, आचरण में भ्रम होना स्वाभाविक रहा। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार, मनुष्य स्वयं का अवमूल्यन करने को बाध्य हो गया व भौतिकवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने को निर्मूल्यन करने को बाध्य हो गया। एक विचारधारा के मूल में, रहस्य मूलक ईश्वर केन्द्र में रहा। दूसरी विचारधारा के अनुसार अनिश्चयता, व अस्थिरता मूलक वस्तु केन्द्र में रही। अब हमें विकल्प के रुप में अस्तित्व मूलक, मानव केन्द्रित चिंतन प्राप्त हो गया है, जिसमें मनुष्य ही अध्ययन का प्रधान केन्द्र है। इतना ही नहीं, बल्कि उसको अध्ययन करने वाला व धारक, वाहक मनुष्य ही है। राज्य व धर्म के मूल में भी मनुष्य ही वस्तु है। इस विधि से प्रत्येक मनुष्य की पहिचान व मूल्यांकन, परिवार में होना पाया जाता है। जिसके फलस्वरुप सर्वतोन्मुखी समाधान सुलभ हो जाता है। अस्तु जो विकल्प सह-अस्तित्ववादी दृष्टिकोण के रूप में हमें उपलब्ध हुआ उसी के अनुसार परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य-व्यवस्था योजना को मानव कुल के लिए अर्पित कर रहे हैं। फलतः राज्य का परिवार मूलक सूत्र से सम्बद्ध होना स्वाभाविक हो जाता है।

अध्याय-२

ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के लिए पूर्व तत्परता एवं आकलन

ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को आरंभ करने के पूर्व यह आवश्यक है कि उस ग्राम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली जाय। इस जानकारी, सर्वेक्षण एवं आकलन के आधार पर ग्राम स्वराज्य व्यवस्था की विस्तृत योजना बनायी जाये। जानकारी का प्रकार निम्न होगा :-

१. ग्राम का नाम, जिला, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, प्रान्त। स्थानीय तापमान वर्षा।

२. गांव की जनसंख्या, आय, वर्ग, स्त्री, पुरुष, बच्चे, लड़का, लड़की के आधार पर।

३. प्राप्त शैक्षणिक स्थितियों, योग्यताओं का आकलन १० वर्ष से १८ वर्ष, १९ वर्ष से ३० वर्ष और ३० वर्ष से ऊपर कितने साक्षर हैं, कितने नहीं। कहां तक पढ़े हैं?

४. कितने लोग उत्पादन, नौकरी, मजदूरी, ग्राम-शिल्प, हस्त-कला कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग में कार्य कर रहे हैं। कितने लोग बेरोजगार हैं।

५. कितने व्यापार करने में व्यस्त हैं। कितनी दुकानें हैं और कितने इन पर आश्रित हैं।

गांव की सामान्य सुविधाओं का आकलन :-

१. गांव व गांव के भू-क्षेत्र, जलवायु समीपस्थ वन, वन-खनिज,

वन–सम्पदा, वनोषधियों का आकलन ।

२. आवास, ईंधन, प्रकाश पीने का पानी, जल–मल व्यवस्था, पाठशाला, उर्जा स्रोतों, सड़क व्यवस्था, डाक घर, बैंक, सांस्कृतिक भवन, तालाब नहर, नदी, तलीय–जल स्रोत आदि का आकलन व सर्वेक्षण ।

उत्पादन सम्बन्धी आकलन :–

कृषि भूमि, पड़ती भूमि, कृषि संभाविन भूमि । सिंचाई व्यवस्था, जल के स्रोत, तालाब, नलकूप, नहर, नदी आदि सम्बन्धी स्थिति और संभनाओं का आकलन ।

फसलों के किस्म, प्रकार, कृषि उपज, तादात, वर्ष-फसल चक्र, स्थानीय अभाव, समस्याएँ व संभावनाएँ ।

कृषि सम्बन्धी तकनीक व ज्ञान में पारंगत–व्यक्तियों की संख्या । क्या वे अन्य को पारंगत बना सकते हैं ?

ऊर्वरक व्यवस्था गोबर, कम्पोस्ट खाद व रासायनिक खादों के उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी ।

बीजों के प्रकार, उनके बारे में जानकारी । कृषि सम्बन्धी औजारों, यंत्रों, कीट नाशक, दवाइयों आदि की उपलब्धता व अभ्यास (**Practices**) के बारे में जानकारी ।

पशुधन के बारे में पूरी जानकारी । उनकी तादात, नस्ल, प्रकार के अनुसार । कितने कृषक, कृषि के साथ गौशाला रखते है? कितने गोबर गैस प्लांट हैं ? कितना लगाना है ?

हस्त शिल्प सम्बन्धी उत्पादन जैसे– चित्रकला, मूर्तिकला,

शिल्प कला, बुनाई, कढ़ाई, छपाई, रंगाई, बधाई पत्र (**Greeting Cards**), सूत कातना, एम्ब्राइडरी, इन ग्रेविंग (**Engraving**) आदि में कितने लोग व्यस्त हैं ? उनसे उपलब्ध तकनीक व विशषता आदि का आकलन ।

ग्राम शिल्प सम्बन्धी उत्पादन जैसे धातु कला, रेशम, काष्ठ कला, मिट्टी और चर्म कला आदि में कितने लोग प्रशिक्षित व व्यस्त हैं । इनमें उपलब्ध तकनीक व विशेषज्ञता का आकलन । कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादन कार्यों में कितने लोग व्यस्त हैं ? वे क्या व कितना बना रहे हैं ? इसी तरह ग्रामोद्योग के बारे में आकलन । सेवा कार्यों में लगे व्यक्तियों का सर्वेक्षण ।

विनिमय सम्बन्धी आकलन :–

सभी उत्पादित वस्तुओं की संख्या, तादात । प्रकार, उपयोगिता व मूल्य । वर्तमान में विनमय व्यवस्था का आकलन । कितनी दुकानें हैं, कितने व्यक्ति क्रय–विक्रय कार्य में लगे हुए हैं । गोदाम आदि स्टोरेज व्यवस्था का आकलन ।

स्थानीय रूप से आवश्यक वस्तुएँ जो बाह्य बाजारों से खरीदी और बेची जाती हैं ।

शिक्षा सम्बन्धी आकलन :– पाठशाला है या नहीं । यदि है तो कहां तक पढ़ाई होती है ? कितने विद्यार्थी हैं ? कितने शिक्षक हैं? आयु, वर्ग के आधार पर शिक्षा का सर्वेक्षण । शिक्षा पाठ्यक्रम कैसा है ? स्थानीय आवश्यकतानुसार शिक्षा दी जाती है या केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है ? शिक्षा प्राप्त कर कितने व्यक्ति गांव में रह रहे है ? कितने गांव छोड़ दिए हैं ? महिलाओं व

बच्चों में जागरूकता कैसी है? कितने साक्षर हैं? कितने साक्षर होना शेष हैं? आयु वर्ग के अनुसार, शिक्षक स्थानीय हैं या बाहर के हैं?

निकटवर्ती तकनीकी व अन्य समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग की संभावना।

स्वास्थ्य संयम सम्बन्धी आकलन :-

१. जन्म व मृत्यु दर।
२. सीमित व सन्तुलित परिवार के प्रति ग्रामवासी कितने प्रतिशत जागरूक हैं?
३. अनावश्यक आदतों का सर्वेक्षण (गांजा, भांग, चरस, शराब, अफीम, धूम्रपान, जुवा आदि बुरी आदतों) वर्गीकरण व उसके लिए व्यक्तियों का नाम सहित आकलन।
४. घरेलू चिकित्सा के प्रति जागरूकता और आकलन।
५. स्थानीय रूप से उपलब्ध जड़ी-बूटियों के प्रकार व उनके औषधि के रूप में प्रयोग, उपयोग और संभावना।
६. सामान्य व विशेष चिकित्सा सुविधा का आकलन।
७. चिकित्सालय और औषधालय है या नहीं? व्यायाम शाला खेल व्यवस्था, योग प्रशिक्षण, सांस्कृतिक भवन है या नहीं?

न्याय सुरक्षा सम्बन्धी आकलन :-

१. ग्राम का प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपनी योग्यता और पात्रता के अनुसार उत्पादन करता है या उत्पादन में भागीदार है या नहीं? के रूप में उत्पादन न्याय का आकलन।
२. उत्पादित वस्तुओं का शोषण विहीन पद्धति से कहां तक विनिमय, आदान-प्रदान हो रहा है- के रूप में विनिमय न्याय का आकलन।

३. स्वधन, स्वपुरूष / स्वनारी, दया पूर्ण कार्यों और तन, मन, धन रूपी अर्थ के सदुपयोग के आधार पर, आचरण-न्याय का आकलन।
४. सम्बन्धों के साथ विश्वास निर्वाह के रूप में, व्यवहार-न्याय का आकलन।
५. वर्तमान में कितने अपराध और अपराधी हैं? कितने अपराध जमीन जायदाद सम्बन्धी हैं? नारी-पुरुष सम्बन्धों से संबधित अपराध कितने दर्ज हैं? ऐसे दर्ज अपराधों की संख्या कितनी है जिनका निर्णय होना शेष है?
६. वर्तमान न्याय-व्यवस्था के प्रति मानसिकता कैसी है?
७. गांव सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यताओं का आकलन व वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है?

अध्याय-३

ग्राम स्वराज्य व्यवस्था की अवधारणा

"अखण्ड समाज का आधार ग्राम स्वराज्य है।"

ग्राम स्वराज्य की मूलभूत इकाई परिवार है। परिवार स्वयं मानवीयता पूर्ण व्यवस्था है। मानवीयता स्वयं स्वराज्य एवं स्वतंत्रता का स्वरुप है। स्वराज्य का तात्पर्य न्याय-सुलभता, उत्पादन-सुलभता और विनिमय-सुलभता मिल जाने से है। स्वतंत्रता का तात्पर्य प्रत्येक मनुष्य का स्वानुशासन सहज प्रमाणिकता और समाधान पूर्वक अभिव्यक्त, संप्रेषित व प्रकाशित होने से है. जो अस्तित्व रूपी सत्य को जानने व मानने से है अर्थात अस्तित्व में परस्पर संबंधों व मूल्यों को पहिचानने व निर्वाह करने से है।

"अस्तित्व में प्रत्येक मनुष्य" मानवत्व सहित व्यवस्था है। "और समाज व्यवस्था में भागीदार है।" इसका प्रत्यक्ष रूप स्वतंत्रता के रूप में स्वयं में व्यवस्था और स्वराज्य के रूप में, समग्रता के साथ भागीदारी है। समग्रता के साथ व्यवस्था की भागीदारी, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ ही संभव है। इस लिए सहज रूप में जो एक से अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित अभिव्यक्ति है, वह परिवार ही है। ऐसे परिवार में मानवीयता पूर्ण आचरण, व्यवहार सहित परस्पर बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि सुलभ होने की स्थिति में ही, ग्राम-स्वराज्य, सहज सुलभ होगा जो अखंड समाज का आधार है।

परिवार और मानव कुल में न्याय सुलभता का तात्पर्य मानव व नैसर्गिक संबंधों की पहचान व उसमें निहित मूल्यों का निर्वाह ही है।

"मानव परंपरा में स्वायत्तता का स्वरुप स्थिति में स्वतंत्रता (स्वानुशासन) व गति में स्वराज्य है।"

उत्पादन सुलभता का तात्पर्य परिवार के प्रत्येक सदस्य को वयस्क होने तक व्यवसाय में स्वावलम्बी बनाने से है। परिवार के सब वयस्क मिलकर, परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकें।

मानवीयता की सीमा में उत्पादन का तात्पर्य प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन द्वारा, उसके साथ पूरकता विधि से, विना क्षति के सामान्याकांक्षी (आहार, आवास, अलंकार) व महत्वाकांक्षी (दूर-श्रवण, दूर दर्शन, दूर-गमन) सम्बन्धी वस्तुओं के निर्माण से है। परिवार में भौतिक समृद्धि के लिए इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है, न इससे कम में भौतिक समृद्धि होती है।

"विनिमय सुलभता" का तात्पर्य, परिवार द्वारा उत्पादित वस्तुओं को श्रम मूल्य के आधार पर, दूसरे परिवारों के साथ, लाभ हानि मुक्त, आदान-प्रदान से है, ताकि हर परिवार को भौतिक समृद्धि का अनुभव हो सके। इस व्यवस्था में लाभोन्मादी व्यापारीकरण का कोई स्थान नहीं है। सम्पूर्ण विनिमय-व्यवस्था का अर्थ प्रत्येक परिवार द्वारा किए गए श्रम नियोजन को, अन्य परिवारों में श्रम मूल्य के आधार पर आदान-प्रदान करने से है। इसके अनुसार ग्राम के विनिमय कोष द्वारा, प्रत्येक परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन को, बाह्य बाजारों में विक्रय कर, वहाँ से गांव के

लिए आवश्यक वस्तुओं को क्रय कर, ग्राम वासियों को उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी व्यवस्था, क्रम से ग्राम समूह, क्षेत्र मण्डल, मंडल समूह, मुख्य राज्य, प्रधान राज्य और सम्पूर्ण राज्य तक जुड़ी रहेगी।

ग्राम स्वराज्य सहज सुलभ होने के उपरान्त ही प्रत्येक मनुष्य को, अस्तित्व समग्र व्यवस्था के साथ भागीदार होने और स्वयं मानवीयता सहित पूर्ण व्यवस्था के रुप में व्यस्त होने की संभावना सुलभ हो जाती है। यही जीवन जागृति का साक्ष्य है जो मानव परंपरा की चिरकाल से वांछा रही है। जीवन जागृति ही मानव में सहज रुप में, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ और सार्थकता को प्रतिपादित करती है क्योंकि प्रामाणिकता और समाधान ही, मानव परंपरा में सार्वभौम अभिव्यक्ति है।

"जीवन जागृति ही स्वयं अभिव्यक्ति में प्रामाणिकता, संप्रेषणा में समाधान और प्रकाशन में स्वतंत्रता तथा स्वराज्य है। यही प्रत्येक–व्यक्ति की अपने में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण है।" यही अखंड मानव समाज का सूत्र और स्वरुप है।

"अखंड सामाजिक में पारंगत बनने और बनाने की क्रिया प्रबुद्धता, उसका आचरण, संप्रभुता और उसकी निरंतरता क्रम में संरक्षण व संवर्धन पूर्वक आचरण करने व कराने का कार्य, प्रभुसत्ता है।"

यही मानवीय संविधान का सूत्र है। ग्राम स्वराज्य का अंतिम लक्ष्य, अखंड सामाजिकता की स्थापना करना है, जिससे

समाज में प्रत्येक मनुष्य को बौद्धिक समाधान व, भौतिक समृद्धि, अभयता व "सह–अस्तित्व" सार्वभौम रुप से सहज सुलभ हो सके।

"परिवार केन्द्रित ग्राम स्वराज्य का अनुभव करना व कराना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।" गांव के प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक सदस्य, मानवीयता पूर्ण आचरण करेगा। प्रत्येक मनुष्य मानव व नैसर्गिक सम्बन्धों व उनमें निहित मूल्यों की पहचान व निर्वाह करेंगे। भौतिक समृद्धि को प्राप्त करेंगे। (आवश्यकता से अधिक उत्पादन) और बौद्धिक समाधान को व्यक्त, संप्रेषित व प्रकाशित करेंगे। ऐसी अर्हता को सुलभ करा देना, ग्राम स्वराज्य है। "ग्राम स्वराज्य योजना" का आधार, व्यापारी करण व नौकरी की मानसिकता के स्थान पर उत्पादन सहित, उपयोगितावादी दृष्टिकोण को विकसित कर उसको व्यवस्था के रुप में क्रियान्वयन करना है, यही हमारी अवधारणा और प्रतिबद्धता है।

अध्याय-४

ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के सार्वभौमिक सूत्र व्याख्या और उसके स्रोत [सह – अस्तित्ववाद]

प्रस्तुत कार्य योजना का स्रोत "मध्यस्थ दर्शन" (सह-अस्तित्ववाद) है, जो सार्वभौम मानवीय संविधान, शिक्षा व स्वराज्य व्यवस्था को प्रतिपादित करता है।

"मध्यस्थ दर्शन" रहस्य से मुक्त है। यह मनुष्य के सम्पूर्ण आयामों की यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता को अध्ययन गम्य और बोध गम्य कराता है। "मध्यस्थ दर्शन" अनुभव बल की अभिव्यक्ति, सर्वतोमुखी समाधान की संप्रेषणा, न्याय पूर्ण व्यवहार, नियम पूर्ण व्यवसाय व आचरण पूर्ण पद्धति से जीने की कला को करतलगत कराता है। साथ ही साधार उपायों द्वारा योजनाबद्ध पद्धति से मनुष्य की परस्परता में, भौतिक समृद्धि, बौद्धिक समाधान अभयता (मानव में निहित समस्त भयों से मुक्ति) व सह-अस्तित्व को सहज सुलभ कराता है।

"मध्यस्थ दर्शन" के अनुसार अस्तित्व में प्रत्येक इकाई समग्रता के साथ भागीदारी का निर्वाह करते हुए अग्रिम विकास के सूत्र से सूत्रित है। इस तथ्य को जानने-मानने, पहिचानने एवं निर्वाह करने के क्रम में "मानव स्वयं में एक व्यवस्था है व समग्र व्यवस्था के साथ भागीदार है।"

अस्तित्व में मानव सभी भावों का द्रष्टा है। सभी भावों

की समझ ही जीवन जागृति है, जो अनुभव में प्रमाणिकता व विचार में समाधान है। सम्पूर्ण समाधान में मानव तथा नैसर्गिक (मनुष्येतर प्रकृत्ति-जीवावस्था, प्राणावस्था, पदार्थावस्था) सम्बन्धों की पहचान व उनमें निहित मूल्यों को निर्वाह, सहज रुप में होना है।

"मध्यस्थ दर्शन" निम्न ४ भागों में है –

१. मानव व्यवहार दर्शन ।
२. मानव कर्म दर्शन ।
३. मानव अभ्यास दर्शन ।
४. मानव अनुभव दर्शन ।

जिसमें समग्र अस्तित्व अर्थात अस्तित्व ही "सह-अस्तित्व" अस्तित्व में विकास, विकास क्रम में जीवन, व जीवन-जागृति तथा अस्तित्व में भौतिक-रासायनिक रचना व विरचना का निर्गम अध्ययन समाविष्ट है।

"मध्यस्थ दर्शन" पर आधारित सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण के आधार पर मानव किस प्रकार मनुष्येतर प्रकृति के साथ, मानव, मानव के साथ, व मानव समग्र अस्तित्व के साथ, सह-अस्तित्व को अनुभव कर सकता है यह निम्न विचारधाराओं में अध्ययन कराया गया है :-

१. समाधानात्मक भौतिक वाद ।
२. व्यवहारात्मक जनवाद ।
३. अनुभवात्मक अध्यात्मवाद ।

सह-अस्तित्ववादी दर्शन के आधार पर ही स्वराज्य (न्याय सुलभता, विनिमय-सुलभता, उत्पादन-सुलभता) व स्वतंत्रता (स्वानुशासन) मानव को "जीने की कला" के रूप में उपलब्ध हो

जाए, इसलिए इसे निम्न शास्त्रों में अध्ययन सुलभ कराया गया है–

१. आवर्तनशील अर्थ चिंतन.
२. व्यवहारवादी जन चेतना (मानवीय संविधान व आचार संहिता)
३. मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान.

इसके साथ ही निम्न योजनाएँ उपलब्ध है जिसका वर्णन (इस योजना प्रारूप में) अन्यत्र किया गया है :–

१. जीवन – विद्या कार्यक्रम.
२. उत्पादन – व्यवस्था.
३. मानवीय शिक्षा – योजना.
४. संविधान – योजना.
५. राज्य – व्यवस्था – योजना (अखंड समाज)
६. आवर्तनशील अर्थ व्यवस्था योजना.
७. पर्यावरण सुरक्षा योजना.
८. मानवीय न्याय व्यवस्था योजना.
९. मानवीय स्वास्थ्य संयम योजना.

अध्याय-५

ग्राम स्वराज्य सभा

ग्राम का प्रत्येक परिवार दस (१०) व्यक्तियों के स्वरुप में होगा। यदि किसी परिवार में दस से कम व्यक्ति हैं तो वह अपने परिवार के निकटस्थ, अन्य परिवारों से मिलकर, एक परिवार सभा का गठन करेंगे। परिवार का प्रत्येक सदस्य बच्चे व वयस्क मिलकर परिवार – सभा का गठन करेंगे। परिवार सभा के सब सदस्य मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को प्रधान के रुप में चुनकर परिवार समूह सभा के लिए निर्वाचित करेंगे जो "जीवन–विद्या" व "वस्तु–विद्या" में सर्वाधिक पारंगत होंगे। यदि किसी परिवार-सभा में दस से अधिक व्यक्ति हैं तो वह दस के गुणांक में अपने प्रधान (एक से अधिक) परिवार समूह सभा के लिए चुनकर भेजेंगे। दस के गुणांक के बाद ५ से अधिक शेष होने पर एक और प्रधान को चुना जाएगा। ५ से कम होने पर नहीं।

इस प्रकार १० परिवारों के प्रधानों से मिलकर एक "परिवार समूह सभा" का गठन किया जायेगा। ऐसे प्रत्येक १० "परिवार समूह सभा" से एक व्यक्ति को, ग्राम-सभा के लिए निर्वाचित करेगा। इसी प्रकार १० परिवार समूहों से निर्वाचित १० सदस्य, ग्राम-सभा का गठन करेंगे, जिसमें से एक ग्राम सभा का प्रधान होगा। सामान्यतः सौ परिवार मिलकर एक "ग्राम स्वराज्य सभा" का गठन करेंगे जिसमें १० निर्वाचित सदस्य होंगे। यदि किसी ग्राम में १०० (एक सौ) परिवार से ज्यादा जन संख्या है तो उसी १० के गुणांक में उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। उदाहरण के लिए यदि गांव की जन संख्या २००० (दो हजार) है तो उस "ग्राम

सभा" में २० सदस्य होंगे ।

कालान्तर में उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्य अपने दस सदस्यों में से एक सदस्य को "ग्राम समूह सभा" में, ग्राम समूह सभा के दस सदस्य एक को, ग्राम क्षेत्र सभा, ग्राम क्षेत्र सभा के दस सदस्यों में से एक सदस्य को मंडल सभा, मंडल सभा के १० सदस्यों में से एक सदस्य को "मंडल समूह सभा" मंडल समूह-सभा के दस सदस्यों में से एक सदस्य को "मुख्य राज्य सभा", मुख्य राज्य सभा के दस सदस्यों में से एक सदस्य को "प्रधान राज्य सभा" व प्रधान राज्य सभा के दस सदस्यों में से एक सदस्य को "विश्व राज्य सभा" के लिए निर्वाचित करेंगे । इस प्रकार प्रत्येक स्तर (**Level**) में प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ १० व्यक्तियो का मूल्यांकन कर अगली सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करेंगे ।

निर्वाचित सदस्यों की अर्हता :-

परिवार से लेकर ग्राम-सभा तक प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की अर्हता निम्न होगी :-

१. उसकी आयु कम से कम २१ वर्ष होगी ।
२. वह जीवन-विद्या व वस्तु-विद्या से परिपूर्ण होगा और व्यवसाय में स्वावलम्बी व व्यवहार में सामाजिक होगा ।
३. मानवीय आचरण (स्वधन, स्व-नारी / स्व पुरुष, दया पूर्ण कार्य व्यवहार-विन्यास) के रूप में वर्तमान में प्रकाशित होगा ।

कार्य क्षेत्र :-

१. ग्राम सभा का कार्य १०० परिवारों के साथ होगा । उसका भू-क्षेत्र, ग्राम सीमा तक होगा । ग्राम सीमावर्ती क्षेत्र की समस्त भूमि, वन, वन सम्पदा, खनिज, जल स्त्रोत व अन्य सम्पदाएँ ग्राम

सभा के अधिकार क्षेत्र में होंगी ।
२. ग्राम सभा, सामान्यत: ग्राम के सभी परिवारों का प्रतिनिधित्व करेंगी ।

कार्यकाल :-

३. ग्राम सभा ४ वर्ष के लिए निर्वाचित होगी । हर चार वर्ष बाद परिवार व "परिवार समूह सभा" को अपने-अपने प्रधानों को फिर से निर्वाचित करने का अधिकार होगा । हर 'परिवार समूह सभा' के दस सदस्यों को ग्राम सभा में फिर से नए सदस्यों को चुनने का अधिकार होगा ।

कार्य शैली :-

प्रत्येक ग्राम सभा, "ग्राम स्वराज्य व्यवस्था" को स्थापित करने के लिए निम्न ५ समितियों का गठन करेगी :-

१. मानवीय शिक्षा संस्कार समिति.
२. उत्पादन कार्य व सलाहकार समिति.
३. सहकारी विनिमय कोष समिति.
४. स्वास्थ्य संयम समिति.
५. मानवीय न्याय सुरक्षा समिति.

उपर्युक्त समितियां ग्राम सभा के मार्ग दर्शन के आधार पर कार्य करेंगी । उपरोक्त समितियां क्रम से ग्राम में शिक्षा-संस्कार व्यवस्था, उत्पादन व्यवस्था, विनिमय कोष व्यवस्था, स्वावस्था व "न्याय सुरक्षा व्यवस्था" को स्थापित करेगी । उपरोक्त समिति के सदस्यों का मनोनयन ग्राम सभा करेगी । प्रत्येक मनोनीत सदस्य इन समितियों का अंश-कालिक (**Part-time**) सदस्त होगा व वह अपनी समिती का कर्तव्य एवं दायित्यों का निर्वाह अपने निजी

व्यवसाय के अलावा करेगा। वयोवृद्ध स्त्री व पुरुष, जो जीवन-विद्या व वस्तु-विद्या में पारंगत हैं, उनको समितियों के अंश कालिक व पूर्ण कालिक (**Part Time and Full Time**) "सदस्य होने का अवसर रहेगा। प्रत्येक समिति का विस्तृत कार्यक्रम अगले खंडों में विस्तार से दिया गया है। ग्राम स्वराज्य व्यवस्था" के लक्ष्य निम्न होंगे :-

१. गांव के प्रत्येक मनुष्य को मानवीय-शिक्षा-संस्कार से सम्पन्न करना।
२. प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसाय में निपुणता-कुशलता को सहज सुलभ करना।
३. प्रत्येक व्यक्ति को व्यवहार में सामाजिक बनाना।
४. प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी उत्पादन कार्य में प्रवृत्त करना।
५. उत्पादित वस्तुओं को विनिमय-कोष द्वारा, लाभ-हानि मुक्त पद्धति से क्रय-विक्रय करने की व्यवस्था प्रदान करना और ग्राम वासियों के लिए आवश्यकीय वस्तुओं को उपलब्ध कराना।
६. प्रत्येक व्यक्ति को न्याय व सुरक्षा सहज सुलभ कराना। साथ ही सुधारवादी प्रक्रिया से, गलती व अपराधों का निराकरण करना।
७. प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति अवधारणा-पूर्वक संकल्प बद्ध करना, व्यायाम व खेलों के लिए प्रोत्साहित करना, संक्रामक रोग-विरोधी टीकों की उपयोगिता से अवगत कराना। साथ ही सहज व सस्ती चिकित्सा की व्यवस्था करना।
८. प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान ग्राम जीवन, परिवार-व्यवस्था के प्रति विश्वास व निष्ठा उत्पन्न करना।
९. प्रत्येक व्यक्ति/ परिवार अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन

करे, ऐसा सुनिश्चित उपाय करना।
१०. ग्राम के लिए सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।
११. व्यक्तित्व व प्रतिभा का संतुलित उदय हो, ऐसा सुनिश्चित उपाय करना।
१२. प्रत्येक परिवार में भौतिक समृद्धि व बौद्धिक समाधान साक्षित करना, समस्त ग्राम वासियों की परस्परता में अभयता व सह-अस्तित्व चरितार्थ करना।

कर्तव्य व दायित्व :-

१. ग्राम सभा पूर्ण रुप से ग्राम वासियों के प्रति उत्तरदायी होगी। साथ ही वह "ग्राम समूह सभा" के प्रेरणा व उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर निर्णय लेगी।
२. सर्वेक्षण, आकलन व अध्ययन के आधार पर प्रत्येक परिवार के लिए, समय बद्ध स्वराज्य कार्य योजना बनाएगी व क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समितियों को आवश्यक निर्देश देगी।
३. ग्राम की पाँचों समितियों के साथ उनके अपने-अपने लक्ष्य प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग देगी व उनके लिए जो भी सुविधायें, तकनीकी ज्ञान आदि की आवश्यकता होगी उसे उपलब्ध कराएगी।
४. "विनिमय कोष" व सरकारी बैंक के बीच संयोजन (एजेन्सी) का कार्य करेगी।
५. पाँचों समितियों के कार्यों का समय-समय पर मूल्यांकन करेगी व उन्हें आवश्यक निर्देश देगी।
६. सर्वेक्षण, आकलन, अध्ययन व प्राथमिकताओं के आधार पर ग्राम में सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगी। इस दिशा में यदि किसी समिति व अन्य संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करेगी।
७. निम्न सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था ग्राम सभा द्वारा की जायेगी-

१. प्रत्येक परिवार के लिए आवास का प्रावधान। इसके लिए स्थानीय व्यक्तियों व वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जावेगा। "दिव्य पथ-संस्थान" के पास मिट्टी के सस्ते व मजबूत घर बनाने की पूरी तकनीकी जानकारी उपलब्ध है।

२. सस्ती शोधन विधि द्वारा शुद्ध व पवित्र पीने के पानी की व्यवस्था। सस्ती "शोधन विधि" श्री एन. मूर्ति डिप्टी डायरेक्टर पॉलिटेक्नीक, भोपाल (म. प्र.) के पास उपलब्ध है।

३. जल-मल की व्यवस्था करना।

४. कृषि के साथ पशु पालन आवश्यक होने के कारण "गोबर-गैस प्लांट" द्वारा, गोबर-गैस गांव में सामूहिक या व्यक्तिगत रुप से उपलब्ध कराना। प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने की स्थिति में, उसका सर्वाधिक उपयोग करने की, प्रणाली को विकसित करना।

५. गोबर खाद व कम्पोस्ट खाद के लिए व्यापक व्यवस्था करना।

६. सौर-ऊर्जा का सर्वाधिक प्रयोग करने की प्रणाली विकसित करना ताकि उसका उपयोग, पानी पंप करने, खाना पकाने, वाष्पीकरण, अनाज सुखाने, ठंडा या गर्म करने में किया जा सके, जिससे लकड़ी, कोयला आदि परंपरागत ईधनों को जलाने से रोका जा सके। इसी संदर्भ में पवन चक्की व जल प्रवाह शक्ति की उपयोगिता की संभावना का पता लगाना व यदि संभव हुआ तो क्रियान्वयन करना।

७. प्रत्येक घर के साथ शौचालय व सामूहिक शौचालय की व्यवस्था करना।

८. सड़क मार्ग, रेल, यातायात-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना व निकट की मंडियों व बाजारों की सड़कों से जोड़ना।

९. दूरभाष व दूर संचार सेवा डाक घर, बैंक आदि की व्यवस्था करना।

१०. ग्राम के लिए पाठशाला, चिकित्सा केन्द्र विनिमय-कोष के लिए भवन, गोदाम, बहुउद्देशीय भवन की व्यवस्था करना जो न्याय सभा, "संबोधन सभा", सांस्कृतिक-सभा, विवाह व मिलन-सभा, प्रार्थना सभा, स्वागत सभा व छाया के अंदर खेलने (**Indoor Games**) के लिए उपयोगी रहेगा।

परिवार समूह व परिवार प्रधान के कर्तव्य व दायित्व :-

१. परिवार प्रधान, सदस्यों के साथ व्यवहार, आचरण, स्वास्थ्य, उत्पादन व उत्पादन संबंधी साधनों के संदर्भ में स्वयं प्रामाणिक रहते हुए, उनके अनुरुप सभी सदस्यों को होने के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।

२. परिवार प्रधान, परिवार के अन्य सदस्यों का मूल्यांकन करेंगे। परिवार प्रधान का मूल्यांकन, परिवार समूह सभा करेगा। आचरण के लिए मूल्यांकन का आधार स्वधन, स्वनारी/ स्वपुरूष व दया पूर्ण कार्य रहेगा।

व्यवहार के मूल्यांकन का आधार मानव व नैसर्गिक संबंधों व उनमें निहित मूल्यों की पहचान व निर्वाह से है।

३. परिवार में किसी से गलती होने की स्थिति में सुधारने का कर्तव्य, परिवार के सभी सदस्यों का होगा। इसमें परिवार प्रधान, उभय पक्षीय प्रेरक का कार्य करेगा।

४. परिवार सम्बन्धी समस्त जानकारी, जिसके आधार पर परिवार के सदस्यों को शिक्षा-संस्कार, उत्पादन कार्य आदि में लगाना है, के लिए सभी तथ्यों को एकत्रित कर, ग्राम सभा को उपलब्ध कराने का कर्तव्य, पविवार प्रधान का होगा। परिवार में यदि

कोई व्यक्ति, किसी विशेष योग्यता, हस्तकला, हस्त–शिल्प, कृषि व अन्य तकनीकी या साहित्य–कला में माहिर है, तो यह जानकारी भी, ग्राम की सम्बन्धित समिति को उपलब्ध कराएगा ।

५. परस्पर परिवारों के विवादों व उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण का दायित्व उन परिवार के प्रधानों व परिवार समूह सभा का होगा । परिवार समूह सभा द्वारा, विवाद हल न होने की स्थिति में ही विवाद "न्याय सुरक्षा–समिति" के पास जायेगा ।

अध्याय-६

ग्राम शिक्षा संस्कार व्यवस्था

ग्राम में शिक्षा संस्कार व्यवस्था का संचालन "शिक्षा संस्कार समिति" करेगी । शिक्षा संस्कार समिति में कम से कम एक व्यक्ति होगा या अधिक से अधिक तीन व्यक्ति होंगे ।

"शिक्षा संस्कार समिति" के सदस्यों की अर्हता :–

शिक्षा संस्कार समिति के सदस्यों की अर्हताएँ निम्न प्रकार होंगी :–

१. प्रत्येक सदस्य जीवन–विद्या एवं वस्तु–विद्या में पारंगत रहेगा ।
२. वह व्यवहार में सामाजिक व व्यवसाय में स्वावलम्बी होगा ।
३. उसमें स्वयं में विश्वास व श्रेष्ठता के प्रति सम्मान करने का प्रमाण रहेगा ।
४. प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलित होने का प्रमाण रहेगा ।

शिक्षा संस्कार व्यवस्था के मूल उद्देश्य :–

प्रत्येक मनुष्य को–

१. व्यवहार में सामाजिक ।
२. व्यवसाय में स्वावलम्बी ।
३. स्वयं के प्रति विश्वासी ।
४. श्रेष्ठता के प्रति सम्मान करने में पारंगत । जिससे व्यक्तित्व व प्रतिभा का संतुलित उदय हो सके ।

शिक्षा संस्कार व्यवस्था का स्वरुप :–

१. प्रत्येक मनुष्य को व्यवहार शिक्षा में पारंगत बनाना ।
२. प्रत्येक को व्यवसाय शिक्षा में पारंगत कर एक से अधिक व्यवसायों में स्थानीय आवश्यताओं के आधार पर निपुण व कुशल बनाना ।
३. प्रत्येक को साक्षर बनाने ।
४. "ग्राम सभा" पाठशाला की व्यवस्था, स्थानीय आवश्यकतानुसार करेगी ।
५. आयु वर्ग के आधार पर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होगी ।

शिक्षा की व्यवस्था निम्न कोटि के ग्रामवासियों के लिए की जावेगी ।

१. बाल शिक्षा ।
२. बाल जो स्कूल छोड़ दिए हैं व दस वर्ष से अधिक आयु के हैं, ऐसे बच्चों को ३० वर्ष के अन्य अशिक्षित व्यक्तियों के साथ व्यवहार शिक्षा व व्यवसाय शिक्षा में पारंगत बनाने की व्यवस्था रहेगी ।
३. ३० वर्ष की आयु से अधिक स्त्री पुरूषों को साक्षर बनाकर, व्यवहार शिक्षा में पारंगत बनाने की व्यवस्था होगी ।
४. स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आवश्यकता होने पर स्त्री पुरूषों के लिए अलग शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होगी ।
५. अनावश्यक, अव्यवहारिक, असामाजिक आदतों को छुड़ाने के लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था होगी जो कि "स्वास्थ्य संयम समिति" के साथ मिलकर कार्य करेगी ।
६. व्यवसाय शिक्षा के लिए "शिक्षा संस्कार समिति" "उत्पादन सलाहकार समिति" व "सहकारी विनिमय कोष समिति" के साथ मिलकर कार्य करेगी व सम्मिलित रुप से यह तय करेगी

कि ग्राम की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, किस-किस व्यक्ति को, किस-किस व्यवसाय की शिक्षा दी जाए । "विनिमय कोष समिति" ऐसे उपायों की जानकारी देगी, जिनकी गांव से बाहर अच्छी माँग है व जिसे वह अच्छी कीमत पर विनिमय कर सकती है ।
७. कृषि, पशुपालन, ग्राम शिल्प, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग व सेवा में जो पहले से पारंगत हैं, उनके द्वारा ही अन्य ग्राम वासियों को पारंगत करने की व्यवस्था की जायेगी ।
८. यदि उपर्युक्त शिक्षा में कभी उन्नत तकनीकी विज्ञान व प्रौद्योगिकी को समावेश करने की आवश्यकता होगी तो उसको समाविष्ट करने की व्यवस्था रहेगी ।
९. व्यवहार शिक्षा के लिए "शिक्षा संस्कार समिति" "स्वास्थ्य संयम समिति" के साथ मिलकर कार्य करेगी ।
१०. मानवीयता पूर्ण व्यवहार (आचरण) व जीने की कला सिखाना व अर्थ की सुरक्षा तथा सदुपयोगिता के प्रति जागृति उत्पन्न करना ही, व्यवहार शिक्षा का मुख्य कार्य है ।

रुचि मूलक आवश्यकताओं पर आधारित, उत्पादन के स्थान पर मूल्य व लक्ष्य–मूलक अर्थात उपयोगिता व प्रयोजनीयता मूलक उत्पादन करने की, शिक्षा प्रदान करना । जिससे प्रत्येक मनुष्य में अधिक उत्पादन, कम उपभोग, असंग्रह, अभयता, सरलता, दया, स्नेह, स्वधन, स्वनारी/ स्वपुरूष, बौद्धिक समाधान, प्राकृतिक सम्पत्ति का उसके उत्पादन के अनुपात में व्यय व उसके उत्पादन में सहायक सिद्ध हो । ऐसी मानसिकता का विकास करना, व्यवहार शिक्षा में समाविष्ट होगा । इसके लिए शिक्षा के निम्न अवयवों का अध्ययन आवश्यक होगा :–

१. अस्तित्व, विकास, जीवन, जीवन–जागृति, व रासायनिक भौतिक

रचना विरचना के प्रति निर्गम होना (जानना एवं मानना)

२. मानव, मानव जीवन का स्वरूप, मानव अपने "त्व" सहित (मानवत्व सहित) व्यवस्था है, मानव संचेतना, अक्षय बल व अक्षय शक्ति की पहिचान, अमानवीय, मानवीय व अतिमानवीय दृष्टियों स्वभाव व विषयों का स्पष्ट ज्ञान ।

३. मानवीय स्वभाव गति, आवेशित गति व सामान्यगति की पहिचान।

४. मानव व नैसर्गिक सम्बन्धों की पहिचान, सम्बन्धों के निर्वाह में निहित मूल्यों की पहिचान व बोध कराने की शिक्षा । "सम्बन्धों के निर्वाह से ही, विकास होता है" इसकी शिक्षा ।

५. "मूल्य, चरित्र व नैतिकता, अविभाज्य वर्तमान है व कम से अनुभव बल, विचार शैली व जीने की कला की अभिव्यक्ति है । "इसकी पहिचान" ।

६. रूचि मूलक, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक कार्य, व्यवहार, विश्लेषण।

७. आवर्तनशील अर्थ चिंतन व व्यवस्था की शिक्षा ।

८. पूरकता, उदात्तीकरण सिद्धान्त ।

९. न्याय पूर्ण व्यवहार (कर्तव्य व दायित्व)

१०. नियम पूर्ण व्यवसाय ।

११. सामान्य आकांक्षा व महत्वाकांक्षा सम्बन्धी उत्पादन ।

१२. संतुलित आहार पद्धति में, प्रत्येक को जागृत करने की शिक्षा ।

१३. योगासन व व्यायाम सिखाने की शिक्षा । व्यवस्था ।

१४. शरीर, घर, आसपास का वातावरण, मोहल्ला व ग्राम में स्वच्छता की आवश्यकता व उसको बनाए रखने का कार्यक्रम ।

१५. शैशव अवस्था में रोग-निरोधी टीकों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी और इसमें निष्ठा बनाए रखने की व्यवस्था ।

१६. सीमित व सन्तुलित परिवार के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में विश्वास और निष्ठा को व्यवहार रूप देने का कार्यक्रम ।

१७. स्थानीय रूप से उपजने वाली जड़ी-बूटियों की पहिचान और औषधि के रूप में प्रयोग करने में पारंगत बनाने की शिक्षा ।

कालान्तर में "ग्राम शिक्षा संस्कार समिति" क्रम से ग्राम समूह, क्षेत्र सभा, मंडल सभा, मंडल समूह सभा, मुख्य राज्य समूह सभा, प्रधान राज्य सभा व विश्व राज्य की "शिक्षा संस्कार समिति" से जुड़ी रहेगी । अतः विश्व में कहीं भी स्थित कोई जानकारी "ग्राम-शिक्षा संस्कार समिति" को उपरोक्त सात स्त्रोतों से तुरंत उपलब्ध हो सकेगी । पूरी जानकारी का आंदान प्रदान कमप्यूटर व्यवस्था द्वारा आपस में जुड़ा रहेगा । इसी प्रकार अन्य चारों समितियां भी ऊपर तक आपस मे जूड़ी रहेगी ।

अध्याय ७

ग्राम उत्पादन कार्य व्यवस्था

ग्राम में हर तरह का उत्पादन व सेवा कार्य "ग्राम उत्पादन कार्य सलाह समिति" द्वारा संचालित किया जायेगा। यह समिति अन्य समितियों के साथ मिलकर कार्य करेगी। वह समिति गांव के प्रत्येक स्वस्थ स्त्री पुरूष को, किसी न किसी उत्पादन कार्य में लगावेगी। स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर जिसका विस्तृत विवणण सर्वेक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत दिया जा चुका है, उत्पादन समिति प्रत्येक व्यक्ति को, उसकी वर्तमान अर्हता के आधार पर कोई उत्पादन कार्य करने की सलाह देगी व उनके लिए उस व्यक्ति को आवश्यक प्रशिक्षण व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी। जो भी उत्पादन कार्य होंना वह मनुष्य की सामान्य आकांक्षा (आवास, आहार, अलंकार) व महत्वाकांक्षा (दूर गमन, दूर दर्शन, दूर श्रवण) सम्बन्धी आवश्यकताओं पर आधारित होगा।

"उत्पादन कार्य सलाह समिति" ग्राम सभा के सहयोग से गांव की सामान्य सुविधाओं को स्थापित करने में सहयोग देगी व आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगी। पर्यावरण सुरक्षा व पर्यावरण के साथ एक सूत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। पदूषण फैलाने सम्बन्धी कोई भी उत्पादन कार्य नहीं किया जायेगा।

ग्राम का उत्पादन निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा।

१. कृषि.
२. पशु-पालन.
३. बन व वनोपज.

४. खनिज.
५. हस्त शिल्प.
६. ग्राम शिल्प.
७. कुटीर उद्योग.
८. ग्रोमोद्योग.
९. सेवा.

कृषि :–

वर्तमान स्थिति में ग्राम की कृषि उपज, फसलों किस्म (प्रकार) तादात, कृषि में व्यस्त धन-बल, कृषि भूमि, पड़तो भूमि, कृषि संभावित भूमि, सिंचाई, उर्वरक, व्यवस्था, पशु-पालन व्यवस्था आदि के आधार पर "उत्पादन कार्य सलाह समिति" ग्राम-सभा व विनिमय समिति के साथ मिलकर, एक ग्रामव्यापी कृषि योजना तैयार करेगी। जिसमें पशुपालन व ग्राम सीमावर्ती वन प्रबंध का समावेश होगा। योजना में पूरे ग्राम की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, मसाला, सुगन्धित वनस्पतियों औषधियों, रेशा, कन्द जाति की उपजों, साग सब्जियों, फलों आदि की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने का कार्यक्रम होगा।

योजना में निम्न कार्यो की व्याख्या करने का कार्यक्रम होगा–

१. स्थानीय रूप से जो कृषि में पारंगत हैं उनमें ग्राम के अन्य लोगों (जो कृषि कार्य कर रहे हैं या जिनको भविष्य मे कृषि कार्य लगना है) को कृषि में पारंगत बनाने की व्यवस्था।
२. स्थानीय भौगौलिक परिस्थितियों के अनुसार सिंचाई साधनों को एकत्रित करने की व्यवस्था। कृषि संभावित भूमि को, कृषि योग्य बनाकर उनका आबन्टन (ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास कृषि भूमि नहीं है) की व्यवस्था।

३. बंजर भूमि में उपयोगी फलदार वृक्ष, जड़ी बूटियों को लगाने की व्यवस्था ।

४. कृषि के साथ उपयोगी वृक्ष, चारा, साग सब्जियों, व सुगंधित वनस्पतियों की उन्नत प्रणाली को सुलभ (प्रशिक्षण व क्रियान्वयन) करने की व्यवस्था ।

५. उन्नत बीज उपलब्ध कराने व तैयार कराने की व्यवस्था । गांव व्यापी गोबर गैस व कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए व्यवस्था ।

६. कृषि, फल, साग, सब्जियों में होने वाले रोगों के निवारण में, स्थानीय अनुभवों को सर्वाधिक उपयोग करने की व्यवस्था । रोगों के निवारण न होने की स्थिती में अन्य वाह्य प्राप्त स्रोतों के सहयोग से निवारण की व्यवस्था ।

७. कृषि में उन्नत तकनीकी की आवश्यकता होने पर उसके संयोजन की व्वयस्था ।

८. कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए समस्त आवश्यकीय उपायों को सुलभ करने की व्यवस्था । कृषि सम्बन्धी समस्त समस्याओं को निराकरण उत्पादन सलाहकार समिति करेगी ।

पशुपालन :–

कृषि के साथ पशुपालन अनिवार्य होगा । पशुपालन के साथ गोबर गैस प्लांट अनिवार्य होगा । गोबर गैस प्लांट स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कुछ परिवार मिलकर, सामूहिक रुप से या प्रत्येक परिवार के लिए लगाया जायेगा । पशुपालन का मुख्य उद्देश्य खेत जोतने के अलावा गांव में आवश्यकता से अधिक दूध, घी, आदि का उत्पादन, गोबर गैस द्वारा गांव में ईंधन व प्रकाश तथा खाद की पूर्ति करना होगा । पशुपालन इस अनुपात में करना होगा । जिजसे गांव की आवश्यकतानुसार खाद की पूर्ति, गोबर व कम्पोस्ट

खाद पर्याप्त हो सके । साथ ही मिट्टी का लवणी करण, आम्लीय करण कठोरपन, व उर्वरक क्षमता में हो रहे हास को पूरी तरह रोका जा सके ।

प्रत्येक कृषक अपने खेत में इस प्रकार का फसल-चक्र अपनाएगा जिससे उसके पास जितने पशु हैं उसके लिए पर्याप्त मात्रा में चारा, घास, भूसी मिल सके । इस व्यवस्था मे उन्हें पारंगत बनाने की व्यवस्था होगी ।

पशुओं के रोग निवारण के लिए स्थानीय अनुभवों को सर्वाधिक उपयोग करने की व्यवस्था होगी । इन उपायों से रोग निवारण होने की स्थिति में वाह्य विशेष चिकित्सा की व्यवस्था होगी ।

उपरोक्त अर्हता को प्राप्त करने की व्यवस्था उत्पादन सलाहकार समिति करेगी । देश विदेश में शहर की बढती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी पालन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

स्थानीय मानसिकता व आवश्यकताओं के आधार पर मछली मुर्गी, भेड़ा, रेशम के कीड़े, बकरी व अन्य पशुओं के पालन की व्यवस्था की जाएगी ।

वन वनोपज व वनौषधि :–

गांव सीमावर्ती वनों (यदि वे हैं तो) का प्रबंध, "उत्पादत कार्य सलाह समिति" द्वारा किया जायेगा । वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक गांव वासी की होगी । वन से वनोपज व वनोषधियों के संग्रह की व्यवस्था उत्पादन सलाहकार समिति करेगी । कुछ

ग्राम वासियों की आजीविका का साधन वनोपज व वनोषधियों का संग्रह करना ही होगा। उनके द्वारा संग्रह करने के आधार पर ही विनिमय कोष क्रय कर उनका मूल्य देगा।

गांव के लिए वनों से लकडी की आवश्यकता की पूर्ति सदुपयोगिता अनुसार "उत्पादन कार्य सलाह समिमि" तय करेगी। ताकि वनों के संरक्षण में कोई कमी न आये।

खनिज :–

स्थानीय विविध उत्पादनों, आवास निर्माण सड़क मार्ग आदि से लगने वाली खनिज वस्तुओं उचित स्थान से उपयोग करने की व्यवस्था "उत्पादन सलाहकार समिति" द्वारा होगी। यदि खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, व उसकी गांव से बाहर भी मांग है, उस स्थिति में कुछ व्यक्ति खनिज–उत्पादन में लगाए जाएँगे व उनको, उनके द्वारा उत्पादन के आधार पर मूल्य "विनिमय कोष" द्वारा दिया जायेगा। उत्पादित खनिजों का विनिमय, विनिमय कोष द्वारा ही किया जाएगा। उपलब्ध खनिजों के स्थल में उनमें व्यवसाय मूल्य को स्थापित करने की व्यवस्था रहेगी।

हस्त शिल्प, हस्त कला संबंधी उत्पादन कार्य :–

स्थानीय रूप से उपलब्ध, जानकारी व आवश्यकताओं के आधार पर गांव के कुछ सदस्यों को निम्न कार्यों में लगाया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था "उत्पादन कार्य सलाह समिति" करेगी। सभी उत्पादित वस्तुओं को विनिमय–कोष समिति खरीदेगी व वह उसका उचित मूल्य देगी।

चित्र–कला, मूर्ति–कला, बुनाई कढाई, छपाई, सिलाई

दस्तकारी, रंगाई, सूत कातना, सूखा पत्ता, कागजों व प्लास्टिक से अलंकारिक स्वरूप देने का कार्य, ग्रिटिंग्स कार्ड बनाने का कार्य, ऐम्ब्राइडरी, इनग्रेव्हिंग का कार्य, स्थानीय अनुभवों के आधार पर तत्काल क्रियान्वयन करना व उनको और ज्यादा कुशल, उन्नत और प्रोत्साहित करने की व्यवस्था होगी।

ग्राम–शिल्प :–

हस्त शिल्प की तरह कुछ व्यक्तियों को ग्राम शिल्प संबंधी कार्यों में लगाया जावेगा। यह कार्य निम्न में से हो सकते हैं :–

धातु कला, काष्ठ कला, कृषि संबंधी औजार, चर्म कला, बांस कला, फर्नीचर, रेशम उद्योग, कुम्हार सम्बन्धी उत्पादन, मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी व अन्य तरह के खिलौने आदि बनाने का कार्य। विशेष कपड़ा बुनाई (स्थानीय अनुभव के आधार पर)।

कुटीर उद्योग :–

कुटीर उद्योग से सम्बन्धित उत्पादन कार्य :– हस्त करघा, रेशम उद्योग, कालीन व चटाई बनाना, साबुन, तेल, सेन्ट, क्रीम, दन्त–मंजन, शैम्पू व अन्य सौन्दर्य प्रसाधनों का उत्पादन, पत्तों से दोना/ कटोरी आदि बनाने का कार्य (जो कि रेलवे व ब्याह शादी व अन्य उत्सवों में उपयोग में लाए जा सकते हैं। आटा चक्की, तेल घानी, धान कुटाई, गुड़ शक्कर बनाना, अचार, जाम, मुरब्बा, फलों का रस, पेय पदार्थों का निर्माण, उदवत्ती, काजल, जड़ी बुटियों पर आधारित दवाइयां।

उपर्युक्त सभी कुटीर उद्योगों के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना।

ग्रामोद्योग :-

मिट्टी पर आधारित व स्थानीय मदद से उपलब्ध, कच्चे माल से आवास बनाने का उद्योग, फलों सब्जियों का डिब्बा करना /संरक्षण, ग्राम के लिए आवश्यकीय औजार। कल पुर्जो का निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, कृषि व आस पास के उद्योगों के लिए कल पुर्जो का उत्पादन, कूप, तालाब जलाशय, नहर, सड़क, बनाने के लिए जानकारी व व्यवस्था।

सेवा :-

धोबी, नाई, साइकिल, रेडियो, टी. व्ही, कृषि यंत्रों व अन्य यंत्रों की मरम्मत, सुधारने के लिए कुछ व्यक्तियों को लगाया जायेगा। यहां प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा। इनके द्वारा लिया गया सेवा शुल्क, ग्राम सभा द्वारा तय किया जायेगा।

अध्याय-८

ग्राम स्वायत्त सहकारी विनिमय-कोष [बैंक] व्यवस्था :-

गांव में हर तरह का विनिमय "सहकारी विनिमय-कोष समिति" द्वारा संचालित "स्वायत्त सहकारी विनिमय-कोष" (बैंक) द्वारा किया जायेगा। विनिमय कोष, गांव की मुख्य संस्था होगी। इसका अपना अलग से संविधान होगा। यह संस्था लाभ-हानि मुक्त व्यवस्था पर कार्य करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य गांव के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तुओं का क्रय करना व उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का विक्रय करना होगा। साथ ही यह कोष "उत्पादन कार्य सलाह समिति" व "शिक्षा समिति" के साथ मिलकर कार्य करेगी व व्यापारी करण के स्थान पर उत्पादनीकरण पर ज्यादा ध्यान देगी। विनिमय कोष की कार्य पद्धति निम्न प्रकार से होगी।

विनिमय कोष (बैंक) नौकरी की मानसिकता को हटाकर उत्पादन की मानसिकता को लाने के लिए शिक्षा समिति के साथ सहयोग करेगा। वह गांव में रह रहे सब व्यापारियों को होर्डिंग (संग्रह) के स्थान पर उत्पादनीकरण का कार्य के लिए प्रेरणा, ट्रेनिंग व पैसा भी देगा। इस तरह लाभ-हानि मुक्त उत्पादन व विनिमय व्यवस्था जो कि श्रम के आदान प्रदान व आवर्तनशीलता पर आचरित होगी, को स्थापित करने में विनिमय कोष कार्य करेगा।

विनिमय व्यवस्था बैंकिग पद्धति पर आधारित होगी। प्रत्येक व्यक्ति जो स्थानीय सीमावर्ती निवासी है व उत्पादित वस्तुओं का

विक्रय करता है और आवश्यकीय वस्तुओं का क्रय करता है, वह इस कोष का खाते दार सदस्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति का खाता विनिमय कोष में होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादित वस्तुओं को विनिमय कोष को बेचेगा। वस्तु मूल्य निकटस्थ बाजार भाव के आधार पर तय होगा (निकटस्थ बाजार में जाकर बेचने से, जो दाम मिलेंगे उसमें परिवहन मूल्य घटा कर) इस मूल्य को सदस्य के खाते में उसी दिन जमा कर दिया जाएगा। इसी तरह बैंक प्रत्येक सदस्य को वस्तुओं का विक्रय करेगा व उनके विक्रय मूल्यानुसार, उनके खाते में उतना मूल्य घटा दिया जायेगा। विक्रय मूल्य निकटस्थ बाजार भाव के अनुसार तय होगा।

बैंक (कोष) इसी तरह बाहर (शहर व अन्य बाजारों) से वस्तुओं को थोक भाव में खरीदेगा व अपने सदस्यों को उपरोक्त पद्धति से बेचेगा। इसी तरह बैंक में गांव के सदस्यों द्वारा, बेची हुई वस्तुएँ, जो स्थानीय आवश्यकता से बच जायेगी, उन्हें शहर व अन्य बाजारों में बेचेगा व उनका मूल्य प्राप्त करेगा। इस क्रय विक्रय से जो कुछ भी अनायास लाभ होगा, उसको गांव की सामान्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्पित किया जावेगा। यह कार्य ग्राम स्वराज्य सभा द्वारा संचालित किया जाएगा। इसी धन को गांव के विकास पर खर्च किया जावेगा। बैंक में प्रत्येक सदस्य की न्यूनतम राशि हमेशा जमा रहेगी ताकि कोष का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। जिसकी राशि नहीं होगी उसे कोष, ब्याज रहित ऋण देगा। जिसे वह सदस्य वस्तु का उत्पादन कर, कालान्तर में बैंक को विक्रय कर चुकता कर देगा।

जिन सदस्यों ने न्यूनतम से अधिक राशि, खाते में रखी है उनकी सहमति से, विनिमय कार्य के लिए आवश्यकता पड़ने पर,

विनिमय कोष, उस धन राशि का उपयोग करेगा व अन्य राष्ट्रीय कृत बैंक से जो ब्याज मिलता है वह उनको देगा। यह विधि तब तक रहेगी, जब तक, बैंक व विनिमय-प्रणाली अलग-अलग रहेगी।

गांव से सभी प्रकार की कर वसूली का दायित्व विनिमय कोष का होगा। कर निर्धारण का कार्य ग्राम सभा करेगी।

उपरोक्त बैंक का गारन्टी दार, राष्ट्रीय कृत सहकारी बैंक होगा जो आरंभ से उसे कार्यशील पुंजी (**Working Capital**) व अन्य ऋण देगा। हानि की भर पाई करेगा। विनिमय कोष ही आगे अपने सदस्यों को ऋण देगा व वह ही उनसे वसूली करेगा। प्रत्येक सदस्य जो ऋण लेगा वह उत्पादित वस्तुओं के रूप में विनिमय बैंक का ऋण लौटा देगा।

विनिमय कोष शनैः-शनैः सरकारी बैंक से ली गई पूंजी को लौटाता रहेगा। इस तरह सरकारी बैंक के रूपये का ज्यादातर उपयोग होगा।

आरंभ में समाज सेवी (प्रशिक्षण प्राप्त) व्यक्ति विनिमय कोष को चलावेंगे। बाद में स्थानीय व्यक्ति जब व्यवहार शिक्षा/ व्यवसाय शिक्षा में पारंगत हो जावेंगे तब वह उस बैंक को चलावेंगे।

सौ परिवार समूह के गांव के लिए औसतन तीन व्यक्ति विनिमय कोष को चलावेंगे। इसमें से एक व्यक्ति गांव में उत्पादित वस्तुओं को, अन्य बाजार में बेचेगा व अन्य बाजारों से सामान्य क्रय कर, विनिमय बैंक में लाएगा। दूसरा व्यक्ति लेखा जोखा व खातों की देख-रेख करेगा। तीसरा व्यक्ति सामान का क्रय-विक्रय करेगा। व उनको भंडार में रखने की व्यवस्था करेगा। आवश्यकता

पड़ने पर अन्य व्यक्तियों को भी विनिमय बैंक में भर्ती किया जा सकता है।

विनिमय बैंक के काम काज को सुगम बनाने के लिए पर्सनल कम्पयूटर को प्रयोग में लाया जायेगा। कालान्तर में विनिमय कोष व्यवस्था, पूरे राज्य व देश में, स्थापित हो जाने पर, ग्राम विनिमय कोष क्रम से, ग्राम समूह क्षेत्र (**Block**), जिला मंडल, मुख्य राज्य व प्रधान राज्य के विनिमय कोष समितियों के साथ आदान-प्रदान से जुड़ा रहेगी। "विनिमय कोष" संविधान के अनुसार, कार्य करता रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी विनिमय कोष समिति की होगी। जो समय-समय पर खातेदार सदस्यों की सामान्य बैठक बुलाकर, उनके सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। सामान्य बैठक में बहुमत के आधार पर मार्ग-दर्शन प्राप्त कर सकेगा। विनिमय कोष समिति के कार्य का मूल्यांकन ग्राम सभा करेगी व समय-समय पर उन्हें मार्ग दर्शन देगी।

कृषि उपज और प्रौद्योगिकी उपज में श्रम मूल्य के आधार पर, मूल्यांकन को स्थापित करने वाली, व्यवस्था रहेगी।

अध्याय-६

ग्राम स्वास्थ्य संयम व्यवस्था :-

ग्राम के सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं संयम की जिम्मेदारी, ग्राम स्वास्थ्य समिति की होगी। यह समिति शिक्षा संस्कार समिति के साथ मिलकर कार्य करेगी। स्वास्थ्य संयम संबंधी पाठ्यक्रम और कार्यक्रम को तैयार कर शिक्षा में सम्मिलित कराएगी। ग्राम में चिकित्सा केन्द्र की व्यवस्था, योगासन, व्यायाम, अखाड़ा खेल कूद व्यवस्था, स्कूल के अलावा खेल मैदान (स्टेडियम), सांस्कृतिक भवन क्लब आदि व्यवस्था का दायित्व, ग्राम स्वास्थ्य समिति का होगा। समिति स्थानीय रूप से उपलब्ध जड़ी-बूटियों द्वारा औषधि बनाने के लिए आवश्यकीय व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही पशु चिकित्सा केन्द्र की व्यवस्था का दायित्व भी स्वास्थ्य समिति का होगा। समिति "समन्वित चिकित्सा" (आयुर्वेद, एलोपैथी, होमियोपैथी, यूनानी, योग प्राकृतिक, मानसिक) के उन्नयन की व्यवस्था करेगी।

सब ग्राम वासियों को स्वास्थ्य व्यवहार, आचरण सम्बन्धी मूल्यों का मूल्यांकन, उपयोगिता व प्रयोजन मूलक पद्धति से, समिति व्यवस्था प्रदान करेगी। अलंकार, प्रसाधन कार्य, शरीर स्वाच्छता, महिलाओं व बच्चों को रोग-निरोधी टीके, और सीमित व संतुलित परिवार के रूप में व्यवहृत होने के लिए व्यवस्था प्रदान करेगी। ऐसी जागृति के लिए एक व्यापक कार्यक्रम को समिति चलाएगी। सामान्य रूप में घटित अस्वस्थता को दूर करने के लिए, घरेलू

चिकित्सा में प्रत्येक परिवार को अथवा प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को प्रवीण बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएँगे। घरेलू चिकित्सा से रोग शमन न होने की स्थिति में स्थानीय केन्द्र द्वारा चिकित्सा होगी। वहां राहत न मिलने की स्थिति में, निकटवर्ती चिकित्सा केन्द्र में पहुँचाने और चिकित्सा सुलभ कराने की व्यवस्था स्वास्थ्य संयम समिति करेगी।

अध्याय-१०

ग्राम न्याय सुरक्षा व्यवस्था :-

ग्राम न्याय सुरक्षा – समिति :- ग्राम सभा के द्वारा मनोनीत की जायेगी। यह समिति गांव की सम्पूर्ण व्यवहार सम्बन्धी विवादों को हल करने के लिए स्वतंत्र होगी व बाह्य हस्तक्षेपों से मुक्त रहेगी। न्याय प्रक्रिया का स्वरूप सुधार प्रणाली पर आधारित रहेगा ताकि दंड प्रणाली पर ग्राम–न्यायालय में सम्पूर्ण प्रक्रिया मानवीय संचेतना वादी व्यवहार पद्धति पर आधारित होगी। चूंकि प्रत्येक मानव को, मानवीयता पूर्ण पद्धति व प्रणाली व नीति पूर्वक जीने का अधिकार समान है। इसके अनुसार गांव में मानवीयता पूर्ण आचरण पद्धति, मानवीयता पूर्ण व्यवहार प्रणाली व अर्थ (तन, मन, धन) की सुरक्षात्मक व सदुपयोगात्मक नीति रहेगी। जो भी व्यक्ति इस व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने में हस्त–क्षेप करेगा, वह सुधरने के लिए बाध्य होगा। मनुष्य अज्ञान, अत्याशा और अभाव वश ही गलती, अपराध तथा तन, मन, धन रूपी अर्थ का अपव्यय करता है। यह व्यवहार मानवीयता और सामाजिकता व व्यवस्था की दृष्टि से सहायक नहीं है। न्याय सुरक्षा समिति, न्याय सुलभता और सुरक्षा कार्य में निष्ठान्वित तथा प्रतिज्ञाबद्ध रहेगी।

न्याय सुरक्षा समिति, मानवीय आचार संहिता के अनुसार न्याय प्रदान करेगी। मानवीय आचार संहिता के अनुसार न्याय व्यवस्था के चार प्रधान आयाम है :- (१) आचरण में न्याय (२) व्यवहार में न्याय (३) उत्पादन में न्याय (४) विनिमय में न्याय।

१. आचरण में न्याय :–

स्वधन, स्वनारी/ स्वपुरूष और दया पूर्ण कार्य का वर्तमान और उसका मूल्यांकन, आचरण में न्याय का स्वरूप है। स्वधन का तात्पर्य श्रम नियोजन का प्रति फल, कला तकनीकी, विद्वत्ता विशेष प्रदर्शन, प्रकाशन किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त पुरस्कार और उत्सवों के आधार पर किया गया आदान–प्रदान के रूप में प्राप्त, पारितोष रूप में प्राप्त धन या वस्तुएँ से है।

स्वनारी, स्वपुरूष :–

विवाह पूर्वक स्थापित दाम्पत्य संबंधी जिसका पंजीयन ग्राम सभा में होगा।

दया पूर्ण कार्य :–

१. समाज मूल्यों की पहिचान और उसका निर्वाह।
२. सम्बन्धों की पहिचान और निर्वाह क्रम में तन, मन, धन, रूपी अर्थ का अर्पण समर्पण।
३. निस्सहाय, कष्ट ग्रस्त, रोग ग्रस्त और प्राकृतिक प्रकोपों से प्रताड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना।
४. प्राकृतिक, सामाजिक और बौद्धिक नियमों का पालन आचरण पूर्वक प्रमाणित करते हुए मानवीय परंपरा के लिए प्रेरक होना।
५. जो जैसा जी रहा है, कार्य कर रहा है उसका मूल्यांकन करना। जहां–जहां सहायता की आवश्यकता है वहां सहायता प्रदान करना।
६. पात्रता हो उसके अनुरूप वस्तु न हो, उसके लिए वस्तु को उपलब्ध कराना ही दया है।

२. व्यवहार में न्याय (मानवीय व्यवहार) :–

(मानवीय व्यवहार) मानव तथा नैसर्गिक सम्बन्धों व उनमें निहित मूल्यों की पहिचान और उसका निर्वाह करना। मानव परंपरा में मानव सम्बन्ध प्रधानता: सात प्रकार से गण्य है :–

१. माता – पिता.
२. पुत्र – पुत्री.
३. गुरू – शिष्य.
४. भाई – बहिन.
५. मित्र – मित्र.
६. पति – पत्नी.
७. स्वामी – सेवक (साथी सहयोगी).

उपरोक्त सम्बन्धों में निहित मूल्य निम्न है :–

स्थापित मूल्य	शिष्ट मूल्य
१. विश्वास	सौयता.
२. स्नेह	निष्ठा.
३. कृतज्ञता	सौजन्यता.
४. गौरव	सरलता.
५. ममता	सहयोगिता.
६. वात्सल्य	सहजता.
७. सम्मान	अरहस्यता.
८. श्रद्धा	पूज्यता.
९. प्रेम	अनन्यता.

मानव सम्बन्धों में साम्य मूल्य विश्वास तथा पूर्ण मूल्य प्रेम है। बिना विश्वास के कोई भी सम्बन्ध का निर्वाह संभव नहीं है। सम्बन्धों में विश्वास का निर्वाह न कर पाना ही अन्याय है।

मानव के नैसर्गिक सम्बन्ध तीन प्रकार से गण्य है :–

१. पदार्थावस्था के साथ सम्बन्ध ।
२. प्राणावस्था (अन्य, वनस्पति) के साथ सम्बन्ध ।
३. जीवावस्था (पशु पक्षी आदि मनुष्येतर जीवों) के साथ सम्बन्ध ।

उपरोक्त संबंधों में उपयोगिता मूल्य दो प्रकार से गण्य है :–

१. परस्पर पूरकता, उदात्तीकरण के रूप में रचना–विरचना क्रम में उपयोगिता ।
२. परमाणु में विकास क्रम में उपयोगिता ।

उपयोगिता का स्वरूप निम्न है :–

१. प्राकृतिक सम्पदा (खनिज, वनस्पति तथा पशु) का उसके उत्पादन के अनुपात में उपयोग ।
२. प्राकृतिक सम्पदा के उत्पादन में विघ्न न डालना ।
३. प्राकृतिक सम्पदा के उत्पादन में सहायक बनना ।
(नैसर्गिक पवित्रता को समृद्ध बनाए रखे बिना, मानव स्वयं समृद्ध नहीं हो सकता ।)

३. उत्पादन में न्याय :–

१. प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना ।
२. प्रत्येक व्यक्ति में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने योग्य कुशलता व निपुर्णता को स्थापित करना, जिसका दायित्व शिक्षा संस्कार समिति को होगा ।
३. उत्पादन के लिए व्यक्ति में निहित क्षमता योग्यता के अनुरूप उसे प्रवृत्त करना जिसका दायित्व "उत्पादन कार्य सलाह समिति" का होगा ।

४. उत्पादन के लिए आवश्यकीय साधनों को सुलभ करना इसका दायित्व "सहकारी विनिमय कोष समिति" का होगा ।
५. उत्पादन कार्य सामान्य आकांक्षी (आहार आवास अलंकार) महत्वाकांक्षी (दूर दर्शन, दूर गमन, दूर श्रवण) सम्बन्धी वस्तुओं के रूप में प्रमाणित होना ।
६. "उत्पादन कार्य सलाह समिति" व "विनिमय कोष समिति" संयुक्त रूप से सम्पूर्ण ग्राम की उत्पादन सम्बन्धी तादात, गुणवत्ता व मूल्यों का निर्धारण करेगी ।

विनिमय में न्याय :–

१. उत्पादित वस्तु के विक्रय के लिए क्रय कार्य सुलभ करना ।
२. विनिमय प्रक्रिया प्रथम चरण में, श्रम मूल्य को वर्तमान में प्रचलित प्रतीक मुद्रा के आधार पर मूल्यांकित करने की व्यवस्था रहेगी । जैसे स्थानीय उत्पादन को, जहां उसको बेचना है, उस मंडी की दरों पर आधारित उसका क्रय मूल्य निर्धारित होगा । ग्राम की आवश्यकता के लिए अन्य बाजारों से, वस्तुओं का विक्रय मूल्य, उन बाजारों के क्रय मूल्य पर आधारित होगा ।
३. द्वितीय चरण के श्रम के आधार पर प्रतीक मुद्रा को मूल्यांकन करने की व्यवस्था होगी व उसी के आधार पर क्रय विक्रय कार्य सम्पन्न होगा ।
४. तृतीय चरण में श्रम मूल्य के आधार पर, वस्तु मूल्य का मूल्यांकन होगा जिसका आधार उपयोगिता व कला मूल्य ही रहेगा व इसी के अनुसार लाभ हानि संग्रह मुक्त पद्धति से विनिमय प्रक्रिया संपन्न होगी । अर्थात विनिमय प्रक्रिया श्रम मूल्य के आदान प्रदान के रूप में सम्पन्न होगी ।

"न्याय सुरक्षा समिति" सुरक्षा कार्य को ग्राम वासियों के

तन, मन, धन रूपी अर्थ के सदुपयोग के आधार पर क्रियान्वयन करेगा। जैसे :–

१. ग्राम में सुरक्षा.
२. उत्पादन एवं विनिमय सुरक्षा.
३. परिवार सुरक्षा.
४. मानवीय शिक्षा – संस्कार सुरक्षा.
५. स्वास्थ्य संयम सुरक्षा.
६. नैसर्गिक सुरक्षा.
७. संगीत, साहित्य, कला की सुरक्षा.

"न्याय सुरक्षा समिति" ग्राम की सभी प्रकार की सुरक्षाओं के प्रति जागरूक रहेगी।

ग्राम सुरक्षा :–

ग्राम सीमा में निहित भूमि का क्षेत्रफल और उस भू–भाग में निहित वन, खनिज, कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, जल, जल स्रोत जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, सामान्य सुविधा आदि कार्य को सदुपयोग के आधार पर सुरक्षित करना ग्राम सुरक्षा का तात्पर्य है।

ग्राम से संबंधित वन क्षेत्र और सरकारी भूमि। और स्वामित्व की भूमि, ग्राम सभा के अधिकार व कार्य क्षेत्र में रहेगी। यदि कोई वन क्षेत्र व भू–खण्ड, किसी गांव से सम्बद्ध न हो ऐसी स्थिति में उसको किसी न किसी गांव से सम्बद्ध करने की व्यवस्था रहेगी। ऐसे ग्राम क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व भी "न्याय सुरक्षा समिति" का होगा।

उत्पादन और विनिमय सुरक्षा :–

१. उत्पादन सुरक्षा :– गांव में जितने भी प्रकार का उत्पादन

सम्बन्धी मौलिकताएँ प्रमाणित होंगी उन सबकी सुरक्षा का दायित्व न्याय सुरक्षा समिति का होगा। जैसे किसी उत्पादन कार्य में विशेष प्रकार की मौलिकता अथवा मौलिक प्रणाली अथवा मौलिक औजार मौलिक विधि जो परंपरा में नहीं रही है, ऐसी स्थिति में उन सबको सुरक्षित किया जाएगा। इन सबसे सम्बन्धित मूल वाङगमय, डिजाइन, चित्रण, नक्शा प्रक्रिया, प्रणाली और विधियों को लिपि बद्ध, सूत्र बद्ध कर सुरक्षित करेगा। आवश्यकता पड़ने पर पेटेंट कराएगा व पुरस्कार की व्यवस्था करेगा।

२. औषधियों का अनुसंधान, वनस्पतियों की पहिचान, ज्योतिष सम्बन्धी अनुसंधान, हस्तरेखा व सामुद्रिक शास्त्र सम्बन्धी साहित्य का अनुसंधान जो परंपरा में नहीं रहा है, उसको उपयोगिता के अनुसार उसकी सुरक्षा का दायित्व "सुरक्षा समिति" का होगा।

३. साहित्य, कला, संगीत, शिल्प में परंपरा की श्रेष्ठता का अनुसंधान, जो परंपरा में नहीं थी, ऐसी प्रस्तुति होने की स्थिति में उसका यथावत संरक्षण करेगा।

४ खेलकूद व्यायाम आदि में परंपरा से अधिक श्रेष्ठता और अनुसंधानों को संरक्षित करेगा।

उपरोक्त कार्य के लिए "न्याय सुरक्षा समिति" क्रम से उत्पादन कार्य सलाह समिति, "स्वास्थ्य संयम समिति" "शिक्षा संस्कार समिति" के सहयोग से मूल्यांकन प्रक्रिया सम्पादित करेगा।

विनिमय में सुरक्षा :–

१. श्रम मूल्यों को पहिचानने की दिशा में "सुरक्षा समिति" निरंतर सजग रहेगी। एक श्रम मूल्य का आकलन जो कुछ भी ग्राम स्वराज्य स्थापना दिवस में प्रमाणित रहेगा, उसकी गति के प्रति सतर्क रहेगा।

निपुणता, कुशलता, कार्य गति, समय व साधन के कुल संयोग से श्रम का मूल्यांकन होगा। जैसे किसी एक वस्तु के निर्माण कार्य से, जिसका फलन स्थापना दिवस पर यदि एक रहा और बाद में यदि दो, तीन या चार हो गया, ऐसी अर्हता को ग्राम में सर्व सुलभ कराने का दायित्व "सुरक्षा समिति" का होगा। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में उत्पादन गति में वृद्धि करने और विनिमय में उसकी समृद्धि के अर्थ को सार्थक बनाने का कार्य समिति करेगी।

२. लाभ–हानि के सम्बन्ध में सतर्क रहना। (अनावश्यक लाभ और असहनीय हानि न होने के लिए सतर्क होना) उसके लिए सभी व्यवस्था प्रदान करना।

३. वस्तु की उत्पादकता के आधार पर मूल्यांकन करने में सतर्क रहना व कार्य रूप देना।

४. सभी विनिमय की संभवना को बनाए रखने में सतर्क रहना व प्रोत्साहित करना।

परिवार सुरक्षा :–

१. प्रत्येक परिवार की महिमा और गरिमा को ग्राम से बाह्य वातावरण से दूषित होने से बचाना। प्रचार तंत्र द्वारा भ्रमित करने वाली सभी पक्षों से सम्पूर्ण परिवार को सतर्क करते हुए संरक्षित करना।

२. साहित्य और कला को परिवार राज्य और ग्राम स्वराज्य के अर्थ में प्रदर्शन कार्य के लिए प्रवृत्त करना।

३. परिवार गत अंतर्विरोध की संभावनाओं को दूर करने के रूप में परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना (**Preventiv Measur**)।

४. किसी एक परिवार की श्रेष्ठता को सभी परिवारों में, सुलभ करने के रूप में परिवार को सुरक्षा प्रदान करना।

५. किसी परिवार के साथ आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप से, असाध्य रोग से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में, उनमें सान्त्वना व सहायता प्रदान करने के रूप में परिवार की सुरक्षा।

शिक्षा संस्कार सुरक्षा :–

१. न्याय सुरक्षा समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक ग्रामवासी को मानवीय शिक्षा (व्यवहार शिक्षा व व्यवसाय शिक्षा) ठीक से मिल रही है या नहीं। जो स्कूल छोड़ दिए हैं, स्कूल में नहीं आते हैं, उनके लिए उनके परिवार वालों से मिल जुलकर, शिक्षा संस्कार को सुलभ कराएगी।

२. मानवीय शिक्षा में कहीं से भी व्यतिरेक उत्पन्न होता है तो उसको दूर करने की व्यवस्था करेगी।

३. शिक्षकों का मूल्यांकन करेगी ठीक से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या नहीं ? समय–समय पर आकर मार्ग दर्शन देगी।

स्वास्थ्य संयम सुरक्षा :–

१. ग्राम वासियों की बुरी आदतें, जैसे सिगरेट, बीड़ी, गाँजा, तम्बाकू जर्दा, शराब, अफीम, चरस, जुवा आदि समाज विरोधी बुरे प्रभावों के निराकरण के प्रति उन्हें जागृत कर सुधारना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।

२. पशु धन की सुरक्षा करना।

३. जान माल की हानि न हो ऐसी व्यवस्था करना।

४ वातावरण में यदि कोई प्रदूषण फैला रहा हो जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको रोकना।

नैसर्गिक सुरक्षा :–

सुरक्षा समिति नैसर्गिक सुरक्षा के लिए निम्न नियमों को

ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी :–

१. गांव की प्राकृतिक सम्पदा का (खनिज, वनस्पति, जीव) उसके अनुपात के रूप में उपयोग करेगी ।

२. प्राकृतिक सम्पदा के उत्पादन में, किसी के भी द्वारा विघ्न न डालने देना ।

३. प्राकृतिक सम्पदा के उत्पादन में सहायक होना, यह सुनिश्चित करना ।

अध्याय-११

मूल्यांकन, प्रोत्साहन, निष्ठावान प्रक्रिया :–

ग्राम सभा द्वारा विभिन्न समितियों के कार्य का मूल्यांकन निम्न मार्ग दर्शक सिद्धांतों द्वारा किया जायेगा :–

"उत्पादन कार्य सलाह समिति" का मूल्यांकन निम्न आधारों पर किया जायेगा :–

१. कृषि, पशुपालन, वनोपज, हस्त शिल्प, ग्राम-शिल्प, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग के कुल उत्पादन का मूल्यांकन ।
२. उत्पादन में कार्य गति का मूल्यांकन ।
३. उत्पादन में गुणवत्ता व उत्पादकता का मूल्यांकन ।
४. उत्पादन कार्य में कुशलता व निपुर्णता का मूल्यांकन ।
५. उत्पादन के लिए आवश्यकीय कच्चेमाल,/ वस्तुओं की सहज सुलभता का मूल्यांकन ।
६. प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए, प्रदूषण–विहीन प्रणाली से, उत्पादन और उत्पादन कार्य में तकनीकी परिवर्द्धन का मूल्यांकन ।
७. मानव परंपरा में आवश्यकीय व उपयोगी सामान्य आकांक्षा (आहार, आवास, अलंकार) व महत्वकांक्षा (दूर गमन, दूर दर्शन, दूर श्रवण) संबंधी वस्तुओं में उत्पादन कार्य का मूल्यांकन ।

विनिमय कोष सलाहकार समिति का मूल्यांकन :–

"विनिमय कोष सलाह समिति" का मूल्यांकन निम्न आधार पर होगा :–

१. विनिमय सहजता व सुलभता का मूल्यांकन ।
२. विनिमय में लाभ हानि मुक्त प्रणाली का मूल्यांकन ।
३. विनिमय प्रणाली में स्वच्छता का मूल्यांकन ।
४. विनिमय क्रिया कलाप में, परिमाण, परिमापन, का मूल्यांकन।
५. विनिमय कोष द्वारा उत्पादन में प्रोत्साहन और सहायता का मूल्यांकन ।
६. विनिमय श्रम में गुणवत्ता का मूल्यांकन ।
७. स्थानीय रूप से खरीदने वाली वस्तुओं के क्रय-मूल्य, उसके विक्रय मूल्य के आधार पर और ग्राम वासियों के लिए बाह्य बाजारों से क्रय किया गया वस्तुओं का मूल्यांकन (क्रय मूल्य के आधार पर) ।
८. साधन प्रबंधों का मूल्यांकन ।

शिक्षा संस्कार समिति के कार्यों का मूल्यांकन :–

"ग्राम सभा" ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति व परिवार में "शिक्षा संस्कार समिति" के कार्यों का मूल्यांकन निम्न आधारों पर करेगी :–

१. संबंधों और मूल्यों की पहिचान और निर्वाह, मानवीयता पूर्ण व्यवहार का मूल्यांकन ।
२. स्वयं के प्रति विश्वास व श्रेष्ठता के प्रति सम्मान क्रिया का मूल्यांकन ।
३. मानवीय आचरण (स्व धन, स्वनारी/स्वपुरुष दया पूर्ण कार्य) का मूल्यांकन ।
४. ग्राम जीवन व परिवार व्यवस्था में विश्वास व निष्ठापूर्ण आचरण का मूल्यांकन ।
५. ग्राम व्यवस्था व ग्राम जीवन में भागीदारी का मूल्यांकन ।
६. प्रत्येक व्यक्ति व परिवार से किया गया तन, मन व धन रूपी अर्थ की सदुपयोगिता का मूल्यांकन ।

७. मनुष्य स्वयं व्यवस्था के रूप में संप्रेषित, अभिव्यक्त, प्रकाशित होने व समग्र व्यवस्था में भागीदार होने व उसकी संभावना का मूल्यांकन ।
८. किसी व्यक्ति में बुरी आदत हो तो उसके, उससे (बुरी आदत से) मुक्त होने के आधार पर मूल्यांकन ।

"न्याय सुरक्षा समिति" का मूल्यांकन :–

"न्याय सुरक्षा समिति" का मूल्यांकन निम्न आधारों पर होगा :–

१. आचरण में न्याय सुलभता का मूल्यांकन ।
२. व्यवहार में न्याय सुलभता का मूल्यांकन ।
३. उत्पादन में न्याय सुलभता का मूल्यांकन ।
४. विनिमय में न्याय सुलभता का मूल्यांकन ।
५. तन, मन, धन रूपी अर्थ की सुरक्षा का मूल्यांकन ।
६. ग्राम व प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा का मूल्यांकन ।
७. उत्पादन एवं विनिमय सुरक्षा का मूल्यांकन ।
८. परिवार सुरक्षा का मूल्यांकन ।
९. शिक्षा संस्कार सुरक्षा का मूल्यांकन ।
१०. स्वास्थ्य संयम सुरक्षा का मूल्यांकन
११. नैसर्गिक सुरक्षा का मूल्यांकन ।

स्वास्थ्य संयम सुरक्षा समिति के कार्यों का मूल्यांकन :–

१. व्यक्तियों में स्वास्थ्य के प्रति जागृति का मूल्यांकन शारिरिक व मानसिक संतुलन के आधार पर ।
२. व्यक्ति, घर, ग्राम, गली, मोहल्लों, को स्वच्छ बनाए रखने का मूल्यांकन ।

३. सीमित व संतुलित परिवार के आधार पर मूल्यांकन ।
४. रोग निरोधी टीकों के प्रति जागरूकता के आधार पर मूल्यांकन ।
५. योगासन, व्यायाम, खेल के प्रति जागरूकता के आधार पर मूल्यांकन ।
६. रोगी को शीघ्र चिकित्सा उपलब्ध कराने का मूल्यांकन ।
७. घरेलू चिकित्सा के प्रति जागरूकता का मूल्यांकन ।
८. स्थानीय जड़ी बूटियों के संरक्षण, संवर्धन व उनके प्रति जागरूकता का मूल्यांकन ।

अस्तित्व में प्रत्येक इकाई "त्व" सहित व्यवस्था है व समग्र व्यवस्था में भागीदार हैं = सह–अस्तित्ववाद

दर्शन अस्तित्व, विकास, जीवन, जीवन–जागृति, भौतिक रासायनिक रचना, विरचना	दर्शक–मानव व्यक्तित्व व प्रतिभा का संतुलित उदय ! स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान = जीवन–विद्या

प्रत्येक मनुष्य व्यवसाय में स्वावलम्बी–निपुणता व कुशलता सहज सुलभ करना = उत्पादन सुलभता	प्रत्येक मनुष्य व्यवहार में सामाजिक–मानवीयता पूर्ण विचार, आचरण, कार्य व्यवसाय, व्यवहार

न्याय–मानव व नैसर्गिक सम्बन्धों की पहिचान और उनमें निहित मूल्यों का निर्वाह = न्याय सुलभता	विनिमय सुलभता–श्रम मूल्य के आधार पर, लाभ हानि–मुक्त पद्धति से उत्पादित वस्तुओं का आदान–प्रदान

स्वराज्य
न्याय सुलभता
+ उत्पादन सुलभता
+ विनिमय सुलभता

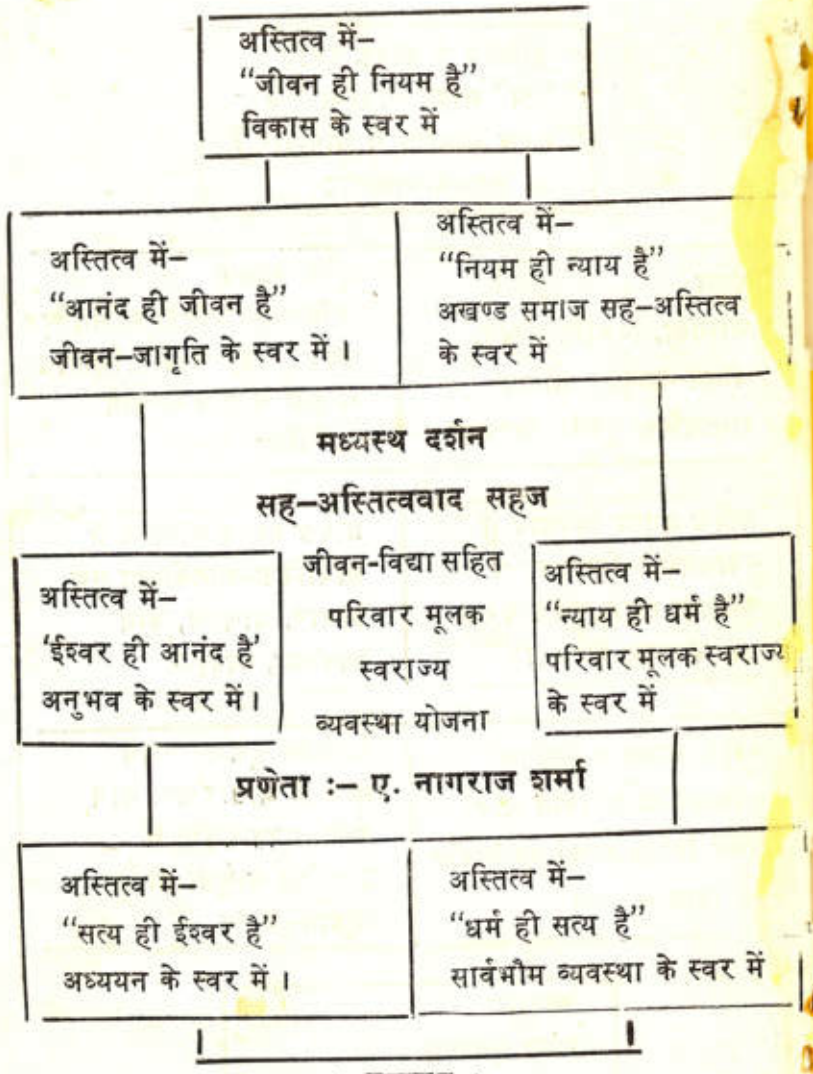

सार–

१. परमानंद की उपलब्धि ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है ।

२. न्याय पूर्ण व्यवहार, धर्म पूर्ण विचार तथा सत्यानुभूति परक इच्छा सम्पन्न हो जाना ही पूर्ण विकास है या पूर्ण चैतन्य हो जाना है ।

३. व्यवहार में गलती एवं अपराध का न होना ही पूर्ण चैतन्य का लक्षण है । इसे मानव की परस्परता में देखा भी जाता है ।

४. आत्मा बोध ही आध्यात्मिक उपलब्धि है ।

५. चैतन्य इकाई में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि व आत्मा इन पांच अंशों की क्रिया है ।

६. चैतन्य सदा सुख की पिपासा से तृषित रहता है ।

"यदि समस्या है तो समाधान होगा ही"

जीवन सफल होता है :-

१. पुरूष का जीवन यतित्व से,

२. स्त्री का जीवन सतीत्व से,

३. माता पिता का जीवन व्यक्तित्व से,

४. पुत्र का जीवन नैतिकता के प्रति निष्ठा से ।

५. शासन व्यवस्था न्याय पूर्ण नियम के समर्थन व पालन से ।

६. प्रजा का जीवन अनुशासन को स्वीकारने से ।

७. गुरू का जीवन अनुभव को उपदेश करने से,

८. शिष्य का जीवन गुरू द्वारा दिए गए उपदेश के मनन, चिन्तन एवम् निदिध्यासन से ।

– ए. नागराज शर्मा

परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य योजना

प्रणेता - ए. नागराज शर्मा